हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

4 सितम्बर, 2002

खण्ड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 4 सितम्बर, 2002

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4)1
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)26
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(4)26
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों के नोटिसों के सम्बन्ध में सूचना	(4)27
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(4)28
विभिन्न मामले उठाना	(4)28
हरियाणा लोकायुक्त विधेयक, 2002	(4)31
वाक आउट	(4)53
हरियाणा लोकायुक्त विधेयक, 2002 (पुनरारम्भ)	(4)54
दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी सराइन (अमेंडमेंट) बिल, 2002	(4)56

मूल्य :

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 4 सितम्बर, 2002

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 9.30 बजे हुई, अध्यक्ष (श्री सलबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब सवाल होंगे।

Police Training Centre

***1089. Shri Rambir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Police Training Centre at Bhondsi, District Gurgaon, if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : जी हां, भौंडसी जिला गुड़गांव में पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

यह प्रशिक्षण केन्द्र "चौधरी देवी लाल पुलिस प्रशिक्षण एवं रिसर्च केन्द्र" के नाम से जाना जायेगा। इसके अन्तर्गत रैक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र और भारतीय रिजर्व वाहिनी मुख्यालय होगा।

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूंगा कि ये जो प्रशिक्षण केन्द्र, भौंडसी जिला गुड़गांव में खोला जा रहा है इसके लिए कितनी जमीन अधिग्रहण की गई है, कितना खर्च किया है और कब तक कंप्लीट कर दिया जाएगा ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, इसके भवन के निर्माण पर लगभग 42 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, इसके अलावा स्टाफ, गाड़ियां, फर्नीचर आदि पर 49 करोड़ रुपये के खर्च की योजना है, इस सैंटर में भविष्य में महिला प्रशिक्षण केन्द्र, नैवेदिक विज्ञान प्रयोगशाला भी शामिल करने की योजना है। इसको आहिस्ता-आहिस्ता एक अच्छा ट्रेनिंग सैंटर बनाने की योजना है क्योंकि अब तक हमारे यहां सिर्फ मधुबन में एक ट्रेनिंग सैंटर है उससे पहले पंजाब में ट्रेनिंग करते थे। इस सैंटर को मॉडर्न बनाने का हमारा विचार है। ज्यों-ज्यों आगे इस प्रशिक्षण के लिए जरूरत होती जाएगी इसमें नयी टैक्नोलॉजी डिवैल्प की जाएगी।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूंगा अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस में भर्ती के लिए जो हाइट पांच फुट सात इंच की है।

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमैंट्री इस सवाल से रिलेटिड नहीं है। आप ट्रेनिंग के बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछें। मैंने तो आपको इसलिए अवसर दिया था कि आप पुलिस में रहे हैं इसलिए कोई अच्छा सवाल पूछेंगे।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इससे बेरोजगार वंचित रहते हैं। * * *

श्री अध्यक्ष : शेर सिंह जी की कोई बात रिकार्ड न करें। आप बैठ जाएं।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इनके राज में छाती बढ़ जाती थी, कद बढ़ जाते थे इन्होंने अपने समय में 1600 सिपाही भर्ती किए थे वे सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिये थे क्योंकि उस समय पैसे लेकर के भर्ती की थी (शोर एवं व्यवधान) इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस भर्ती को रद्द कर दिया। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश का डेकोरम ऊंचा दिखे इसलिए हमने यह कद बढ़ाया है ये तो बी०एस०एफ० में आई०जी० रहे हैं इन्हें तो इस फैसले की दाद देनी चाहिए थी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, शेर सिंह जी ने जो बात कही है वैसे तो इनका पुलिस का बहुत ऐक्सपीरियैंस रहा है ये बहुत सीनियर ऑफीसर रहे हैं इनको तो इस बात को एप्रीशिएट करना चाहिए था आज के दिन मैन पावर के साथ इंटैलीजैंस और फिजिक दोनों चीजों की जरूरत है। फिजीक के हिसाब से पांच फुट सात इंच ज्यादा नहीं है। अगर छः इंच या पांच इंच करते तो एतराज होना चाहिये था कि बौने भर्ती करने लग गये। पांच फुट नौ इंच करते हैं तो आप एतराज करते हैं। आज से 15 साल पहले सन् 1987 में पुलिस की भर्ती की गई थी उसमें छः फुट के नौजवान हरियाणा पुलिस में भर्ती किये गये थे वे नौजवान आज अलग ही नजर आते हैं और पांच फुट छः इंच के नौजवान पीछे भी इण्डियन रिजर्व पुलिस में भर्ती किये गये हैं। पिछली बार जब भर्ती के लिए आवेदन मांगे गये थे तो फिजीकली फिट नौजवान जरूरत से करीब सात आठ गुणा ज्यादा अवेलेबल हो गये थे और उनको फिजीकली फिट के आधार पर भर्ती किया गया था। आज क्वालिफिकेशन की जरूरत है। पुराने जमाने की तरह आज लठ का जमाना नहीं है। आज इंटैलीजैंस की ज्यादा जरूरत है। उसके लिए जैसा कि बताया गया कि मैट्रिक से दस जमा दो क्वालिफिकेशन की गई है। उससे ज्यादा इंटैलीजैंसी आयेगी और उससे लॉ एण्ड आर्डर ठीक रहेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह सब किया गया है। आई०जी० साहब को तो इसके लिए सरकार को एप्रिशियेट करना चाहिये था।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह बहुत बढ़िया कदम उठाया है जो जिला गुड़गांव में चौधरी देवी लाल जी के नाम से पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र खोला है। मैं सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूंगा कि जो पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र खोला जा रहा है उसमें एक बार में कितने सिपाही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है इसके लिए निर्धारित संख्या नहीं रखी गई है। इस प्रशिक्षण केन्द्र में दो हजार, तीन हजार, पांच हजार और सात हजार प्रशिक्षणार्थी एक साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस प्रशिक्षण केन्द्र की इतनी कैपेसिटी है।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस भर्ती के नियमों में बदलाव किया है उससे जो शिडयूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के बच्चे जो भर्ती के लिए फिट हैं उनके साथ अन्याय होगा क्योंकि हरिजन और बैकवर्ड क्लास के ज्यादातर बच्चे दसवीं या आठवीं पास होते हैं।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जहां तक हरिजन और बैकवर्ड क्लास के बच्चों का सवाल है उनको एजुकेशनल क्वालीफिकेशन में और हाईट में रिलैक्सेशन दिया गया है।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो शेर सिंह जी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो शेर सिंह जी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। आपको तो कम से कम इस बारे में नहीं बोलना चाहिये, आप तो डिसीप्लीन्ड फोर्स में रहे हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जो आलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्ज हैं, उनके मुताबिक हरिजन और बैकवर्ड क्लास के बच्चों को एजुकेशनल क्वालीफिकेशन में और हाईट में रिलैक्सेशन दिया गया है। जो पीछे पुलिस की भर्ती की गई, उसमें भी इन क्लासिज के बच्चों को एजुकेशनल क्वालीफिकेशन में और हाईट में रिलैक्सेशन दिया गया है।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, ये जो पुलिस में भर्ती करने के लिए सरकार ने नियम बदले हैं इनसे आरक्षण खत्म करने की * * * रची है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, 100 प्रतिशत आरक्षित कोटा पूरा किया है।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : राम किशन फौजी ने जो अनपार्लियामैन्टरी शब्द बोला है उसे रिकार्ड न करें।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, शिडयुल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास को जितना सम्मान माननीय चौटाला साहब के राज में मिला है उतना चौधरी भजन लाल जी और चौधरी बंसी लाल जी की सरकारों में नहीं मिला।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय साथियों से अनुरोध करूंगा कि प्रश्नकाल का समय बहुत कीमती होता है, इसका सदुपयोग करें। मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र कब तक स्थापित हो जाएगा और इसका पहला बैच कितने प्रशिक्षणार्थियों का होगा ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यह केन्द्र चालू हो गया है और इसमें पहला बैच पास ऑन हो गया है। जहां तक मेरे कई माननीय साथियों ने कहा है, शेर सिंह जी भी कह रहे थे कि आरक्षण को खत्म कर रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है इसमें आरक्षण को सुरक्षित रखा गया है और जो भी फोरमैलिटीज पहले थीं, उनको एज इट इज रखा गया है। (शोर एवं व्यवधान) पूरे कद काठ वाले जवान ही भर्ती किए जाएंगे।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : रामकिशन फौजी की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, ये घर में छाती मिढ कर आ गए और लोगों को बहका कर आए हैं। हरियाणा सरकार ने जो भर्ती की है, मैरिट के आधार पर की है, पैरामीटर्ज के आधार पर की है और फिजीकल फिटनैस के आधार पर की है, जिस प्रकार से इनके वक्त में नौकरियां बिकती थीं, ऐसा इस सरकार में नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भागी राम : यह प्रशिक्षण केन्द्र चौधरी देवी लाल के नाम से बना है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल को जब-जब भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला उन्होंने हरिजनों के लिए बहुत से काम किए। पिछली सरकारों ने पुलिस की भर्ती में बेकायदी बरत कर उनका जो कोटा था, वह पूरा नहीं किया इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो बैकलॉग है, क्या उस बैकलॉग को पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा जो गढ्ढे खोदे गए हैं, हम इनके खोदे हुए किस-किस गढ्ढे को भरेंगे क्योंकि भरने वालों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ? वैसे मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि बैकलॉग के मामले में कोर्ट के आदेश हैं इसलिए बैकलॉग को भरा जाएगा। जहां तक भागी राम जी ने शंका जाहिर की है कि इनके टाईम में बैकलॉग रहा है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बैकलॉग को पूरा किया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

Releasing of Tubewells Connections

***1133. Shri Dev Raj Dewan :** Will the Chief Minister be pleased to state the district-wise number of electricity connections to tubewells released in the State during the period from April, 2002 to-date ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : राज्य में अप्रैल, 2002 से 15 अगस्त, 2002 के दौरान 1758 बिजली कनैक्शन नलकूपों को दिये गए थे।

जारी किए गए नलकूप कनैक्शनों का जिलावार एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

अप्रैल, 2002 से 15-8-2002 तक नलकूपों को जारी किए गए बिजली कनैक्शनों की जिलावार संख्या निम्न प्रकार से है :—

क्र०सं०	जिले का नाम	अप्रैल, 2002 से 15-8-2002 तक दिए गए नलकूप कनैक्शनों की संख्या
1	2	3
1.	अम्बाला	95
2.	पंचकूला	12
3.	यमुनानगर	95
4.	कुरुक्षेत्र	112

1	2	3
5.	कैथल	136
6.	सोनीपत	92
7.	जींद	130
8.	रोहतक	3
9.	झज्जर	8
10.	करनाल	201
11.	पानीपत	45
12.	महेन्द्रगढ़	81
13.	रेवाड़ी	8
14.	फरीदाबाद	24
15.	गुड़गांव	8
16.	हिसार	19
17.	फतेहाबाद	318
18.	भिवानी	47
19.	सिरसा	324

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि सरकार ने इस साल जो सोलर ट्यूबवैल्ज जनता के लिए दिए हैं, उन पर काफी सबसिडी दी गई है जिससे राज्य के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। सोनीपत का वाटर लैवल 30 फुट से नीचे चला गया है तो क्या सोनीपत के जिन लोगों ने इन ट्यूबवैल्ज के लिए एप्लाई किया है, उनको ये ट्यूबवैल्ज देने के लिए सरकार विचार कर रही है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, सोलर के बारे में अलग से प्रश्न किया गया है इसलिए इस बारे में मैं अभी कुछ भी जानकारी नहीं दे सकता।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र जो कि ट्यूबवैल पर आधारित कृषि क्षेत्र है। वहां पर सबसे बड़ी समस्या बिजली के कनैक्शंज की है। आज के दिन सैंकड़ों कनैक्शन लम्बित पड़े हैं और आज किसान अकाल की वजह से खरीफ की फैसल नहीं ले पाये। वहां का किसान अगली फसल तभी ले पायेगा जब कनैक्शन समय पर दे दिये जायेंगे। वहां पर अधिकारी किसानों को अपने आफिस के चक्कर कटवाते रहते हैं कभी कहते हैं कि सरकार ने यह नियम बना दिया, कभी कहते हैं कि यह नियम चेंज कर दिया। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से प्रश्न है कि क्या वहां पर जिन किसानों ने 20 हजार, 40 हजार या 50 हजार रुपये कनैक्शन के लिए जमा करवा रखे हैं उन किसानों को वरियता के आधार पर जल्दी कनैक्शन दिए जायेंगे ताकि किसान आने वाली फसल ले सकें ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि सरकार ने तत्काल योजनाएँ केबल कनैक्शन, एक पोल और अपने ट्रांस्फार्मर लगाने जैसी शुरू की हुई हैं। ये योजनाएं उपभोक्ताओं को दृष्टिगत रखते हुए ही शुरू की हैं ताकि उपभोक्ताओं को जल्दी कनैक्शन दिया जा सके। इन योजनाओं के तहत जिन उपभोक्ताओं ने पैसे जमा करवा रखे हैं उन्हें एग्जामिन करके 5-6 महीने में कनैक्शन रिलीज कर दिए जायेंगे।

राव दान सिंह : स्पीकर सर, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि 5-6 महीने में तो फसल की सिंचाई का समय ही निकल जायेगा।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, हम कनैक्शन अभी भी रिलीज कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने पैसे बाद में जमा करवाये हैं और जहां पर पोल लगने हैं उनमें कुछ समय तो लगेगा ही।

श्री राम फल कुण्डु : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसे मैंने ट्यूबवैल का कनैक्शन लिया और मेरे यहां दो पोल लगे तथा मेरे पड़ोसी ने भी कनैक्शन लिया उसके यहां मेरे से आगे तीन पोल लगे तो पड़ोसी से तीन पोल के पैसे लिए जायेंगे या पांच पोल के पैसे लिये जायेंगे ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं मेरे साथी को बताना चाहूंगा कि तत्काल योजना के तहत केबल कनैक्शन के लिए 10 हजार रुपये, एक पोल के लिए 20 हजार रुपये और उससे आगे प्रति पोल 7 हजार रुपये जमा करवाये जाते हैं। पैसे तभी जमा करवाये जाते हैं जब विभागीय अधिकारी केस को पूरी तरह से एग्जामिन कर लेते हैं। कनैक्शन देने से पहले बाकायदा टैस्ट रिपोर्ट होती है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अधिकारी पूरी तरह से चैक करते हैं कि किसका किस योजना के तहत कनैक्शन बनता है और उसके बाद पैसे जमा करवाये जाते हैं।

श्री राम फल कुण्डु : स्पीकर सर, सी०पी०एस० महोदय ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मैं यह पूछना चाहता हूं कि जैसे मैंने ट्यूबवैल का कनैक्शन लिया और मेरे यहां दो पोल लगे 20 हजार रुपये में तथा मेरे पड़ोसी ने भी कनैक्शन लिया उसके यहां मेरे से आगे तीन पोल लगे तो पड़ोसी से तीन पोल के पैसे लिए जायेंगे या पांच पोल के पैसे लिये जायेंगे ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से पूछना चाहता हूं कि ट्यूबवैल के कनैक्शन के लिए जिन्होंने सैल्फ फाईनैंसिंग स्कीम के तहत सिक्योरिटी भर रखी है और बोर्ड द्वारा जो 1200 फिट की दूरी का क्राईटेरिया फिक्स किया हुआ है कि 1200 फिट या इससे कम की दूरी के ट्यूबवैल्ज को ही कनैक्शन दिया जायेगा। क्या सरकार सैल्फ फाईनैंसिंग स्कीम के अंदर इस 1200 फिट वाली कंडीशन को एक्सटैंड करेगी ताकि उन किसानों को कनैक्शन मिल सके जिनके ट्यूबवैल 1200 फिट से अधिक दूरी पर हैं ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं मेरे माननीय साथी रामफल कुण्डु जी को बताना चाहूंगा कि उनसे तीन पोल के ही पैसे लिये जायेंगे और मेरे साथी कृष्ण लाल पंवार को बताना चाहूंगा कि 1200 फिट की दूरी को एक्सटैंड करने की सरकार की अभी कोई योजना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : स्पीकर सर, मैं सी०पी०एस० महोदय को बताना चाहूंगा कि सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिणी हरियाणा है। फिर आप कहेंगे कि उसका क्राईटेरिया क्या है ? उसका क्राईटेरिया खुद इसमें बता दिया है। स्पीकर सर, उस क्षेत्र का सिंचाई का साधन एक मात्र ट्यूबवैल है इसलिए मैं सी०पी०एस० महोदय से अनुरोध करूंगा कि ये चैक करें कि जिला रेवाड़ी,

महेन्द्रगढ़, झज्जर और गुड़गांव में ट्यूबवैल के कितने कनैक्शन रिलीज किए गये हैं और रोहतक का भी कुछ एरिया इसी में आता है वहां पर कितने कनैक्शन रिलीज किए गये हैं और बाकी जिलों में कितने कनैक्शन रिलीज किए गये हैं ? मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बार ज्वायंट पंजाब के बजट सैशन के अंदर बोलते हुए चौधरी देवी लाल ने यही मुद्दा उठाया था उस समय अकेले अमृतसर में इतने कनैक्शन दिए गये जितने आज के पूरे हरियाणा को भी नहीं दिए। ऐसा ही कहीं अब दक्षिणी हरियाणा के जिलों के साथ तो नहीं हो रहा है। मेरी आपसे केवल एक ही प्रार्थना है कि अगर इन जिलों की कोई सिक्योरिटी पैण्डिंग है तो क्या उनको प्रायरिटी देकर ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन दिए जाएंगे क्योंकि हमारे यहां पर सूखे की मार है और वहां पर अकेले सिंचाई का साधन ट्यूबवैल्ज ही हैं। कनैक्शन देने के मामले में जो इतना बड़ा अन्तर हो गया है यानि 300 और 3 का जो अन्तर है क्या इसको खत्म करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, इश्तिहार के जरिए और अन्य कार्यालयों के सामने भी प्रचारित किया गया था कि जिसने तत्काल स्कीम के तहत कनैक्शन लेने हैं, वे दरख्वास्तें दें जिनकी सिक्योरिटी बड़े लम्बे समय से पैण्डिंग है। स्पीकर साहब, उसके बाद लोगों ने दरख्वास्तें दी, पैसा जमा करवाया। उसके बाद उनकी सीनियोरिटी उसी हिसाब से बनी। जहां तक गुड़गांव का सवाल है या फरीदाबाद का सवाल है या किसी और जिले का सवाल है, यहां पर जिले की बात को कोई मद्देनजर नहीं रखा जाता। इस बात को मद्देनजर ज्यादा रखा जाता है कि दरख्वास्तें कितनी आई हैं और पैसा किसने किस वक्त जमा करवाया है। कितने पैसे जमा हुए हैं उसी हिसाब से सीनियोरिटी बनाई जाती है और उस सीनियोरिटी के हिसाब से ही कनैक्शन दिए जाते हैं। फिर भी माननीय डिप्टी स्पीकर साहब ने यह जो क्वैश्चन रेज़ किया है, अगर इनके जिले में दरख्वास्तें पैण्डिंग होंगी तो हम उनको वरीयता के आधार पर कनैक्शन देंगे ताकि इनके साथ कोई डिस्पेरिटी न हो। परन्तु यहां पर दक्षिणी हरियाणा की बात करके जो बात की जा रही है वह लोग उत्तरी हरियाणा की भी बात सुन लें। वहां पर भी सारा पानी खत्म हो गया है और ग्राउंड वाटर काफी नीचे चला गया है। इनकी भी पुकार सुन लें कि तुम दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा करते रहे हो, पता नहीं कौन सी डिमार्केशन है दक्षिणी हरियाणा की। स्पीकर साहब, इसमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं किया जाता। यह तो जो पहले आता है वह पहले पाता है, यह नीति है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो डिटेल्ज इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाईज दी है, क्या ये सभी कनैक्शन तत्काल हैं या सामान्य भी हैं ?

श्री राम पाल माजरा : ये सारे कनैक्शन तत्काल हैं, सामान्य नहीं हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आपने इसमें कहां लिखा है कि ये तत्काल कनैक्शन्ज हैं ? यह क्वैश्चन हमारे दिवान साहब का था। यह सवाल केवल तत्काल कनैक्शन देने का नहीं था। हमने तो डिटेल्ज़ आफ कनैक्शंज पूछी थी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नये कनैक्शन देने बंद कर दिए गए हैं ? क्या आगे कनैक्शन नहीं ले सकते ? क्या जो पैसे तत्काल कनैक्शन के लिए दे सकता है, क्या उसी को कनैक्शन मिलेगा और किसी को कनैक्शन नहीं मिलेगा ? जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष जी ने कहा कि रोहतक में 3, झज्जर में 8, गुड़गांव में 8 और रिवाड़ी में 8 और इसी प्रकार से दूसरे जिलों को तत्काल कनैक्शन दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां-जहां पर तत्काल स्कीम के तहत कनैक्शन दिए गए हैं, क्या वहां पर अभी कोई एप्लीकेशन बकाया है, या किसी वजह से डील नहीं

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

हो सकी या किसी ने सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई, क्या इस बात की डिटेल्ज आप इन जिलों की दे सकेंगे कि कितनी-कितनी एप्लीकेशंज तत्काल कनैक्शन के लिए पैण्डिंग है या लोगों ने सिक्योरिटी नहीं दी, इनके क्या कारण हैं, इस बारे में ये बताने की कृपा करें ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, जहां तक मांग की बात है, अगर लोगों ने पैसा जमा कराया हो तभी तो कनैक्शन दिया जाता है, यह तो स्पष्ट है। स्पीकर साहब, अगर आप देखें, इनके वक्त में कितने कनैक्शन दिए गए हैं। 1988-89 में देखें 6,508 कनैक्शन दिए गए। 1990-91 में 10,260 दिए गए। स्पीकर साहब, अगर मैं साल-वाईज ब्रेक अप बताउंगा तो जवाब लम्बा हो जायेगा। फिर भी मैं इसे छोटा कर देता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 1997-98 में 960, 1998-99 में 783, 1999-2000 में 820, 2000-2001 में 9,450, 2001-2002 में 6,699 तथा 2002-2003 में जो अब तक दिए जा चुके हैं वे हैं 1,758 । तत्काल योजना के तहत जितनी भी सिक्योरिटी आयी है, जितना पैसा जमा हुआ है और जिनकी टैस्ट रिपोर्ट आ चुकी है उनके 6 महीने में सारे कनैक्शन रिलीज़ कर दिए जाएंगे।

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, यहां पर ट्यूबवैल्ज़ के बारे में जिक्र आया। मेरे हल्के में नहरों वगैरा का कोई पानी नहीं है और सिंचाई के लिए ट्यूबवैल ही एक साधन है। वहां पर कई-कई सालों से बिजली के कनैक्शनों के लिए सिक्योरिटीज लोगों ने भरी हुई हैं। जिन्होंने ट्यूबवैल्ज़ लगवा रखे हैं, वे लोग रात को ट्यूबवैल्ज़ चलाते हैं और बिजली की चोरी करते हैं। अगर उनको बिजली के कनैक्शन्ज दे दिए जाएं तो इस चोरी को रोकने के लिए यह मददगार होगा। स्पीकर साहब, फसल के बगैर कोई किसान रह नहीं सकता और पानी के बगैर फसल हो नहीं सकती इसलिए जिन लोगों के पैसे जमा हुए हैं उनको बिजली के कनैक्शन्ज दे कर बिजली की चोरी को रोक सकते हैं और उन किसानों का काम भी चल सकता है। इसी सम्बन्ध में चौधरी बंसी लाल जी ने स्लैब प्रणाली लागू की थी। उस समय उनके साथ जो एम०एल०एज० थे उनके हल्कों में तो यह स्लैब प्रणाली लागू कर दी लेकिन हमारे जैसे जो ओपोजीशन के एम०एल०एज० थे, उनके हल्कों में यह प्रणाली लागू नहीं की। कैलाना हल्के और मेरे हल्के के गांव आपस में साथ-साथ हैं। हसनपुर और कुराड़ तथा दूसरे जो साथ के गांव हैं, उनमें स्लैब प्रणाली लागू हुई और हमारे साथ लगती डौल पर ऐसे ही कनैक्शन्ज हैं, लेकिन हमारे यहां यह प्रणाली लागू नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे साथ हुए इस भेदभाव को क्या दूर किया जाएगा ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, न तो पानी का कोई भेदभाव है और न और किसी तरह का कोई भेदभाव है। डॉक्टर साहब को मैंने सन्तुष्ट कर दिया था और यह कहा था कि यदि और प्रश्न पूछना चाहें तो पूछें लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। स्पीकर सर, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ये लोग बार-बार ऐसी बात कहते हैं। कभी दक्षिणी हरियाणा की आवाज उठा कर कभी रोहतक की चौधर का नारा दे कर राजनीति करते हैं। (विघ्न) इस तरीके से सपने साकार नहीं हो सकते हैं। स्पीकर सर, सूरजमल जी ने यह प्रश्न पूछा कि क्या स्लैब प्रणाली को ठीक करेंगे ? इसके अन्दर पहले जो गवर्नमैंट थी, उसने भेदभाव किया। पटवार सर्कल मानकर सीमाबद्ध कर दिया था। हमने नये सिरे से प्रो० सम्पत सिंह जी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई है जो सारी की सारी त्रुटियों की छानबीन करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करने जा रही है, उन्होंने इस मामले में

कार्यवाही भी शुरू की है। जहां तक हमारे गहलौत साहब तथा हुड्डा साहब ने पूछा था कि सीनियोरिटी स्टेट की होती है या डिस्ट्रिक्ट की होती है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि सीनियोरिटी डिस्ट्रिक्ट की होती है। परन्तु डिस्ट्रिक्ट वाले अगर कनैक्शन के लिए ऐप्लाई करेंगे और पैसा जमा करवाएंगे तभी तो उनको तत्काल में शामिल किया जाएगा। स्पीकर सर, पूरे प्रदेश में तत्काल के तहत 2,800 ऐप्लीकेशन्ज पैंडिंग हैं और 6 महीने में 2,800 कनैक्शन्ज़ रिलीज कर दिए जाएंगे।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर सर, डिप्टी स्पीकर साहब और हुड्डा साहब ने कनैक्शन्ज़ रिलीज करने के विषय के अन्दर जो समानता नहीं बरती गई उसके बारे में सी०पी०एस० साहब से सवाल पूछा था, जिसके तहत आप देखेंगे कि रोहतक में केवल 3, झज्जर में 8, गुड़गांव में 8, फतेहाबाद जिसके सरबरा वित्तमंत्री साहब हैं और सिरसा जिला जो मुख्य मंत्री जी का जिला है उसके अन्दर 334 कनैक्शन्ज दिए गए हैं और हिसार में 19 कनैक्शन्ज़ दिए गए हैं, यह असमानता इसलिए तो नहीं कि ये ओपोजीशन वालों के जिले हैं।

श्री अध्यक्ष : करनाल के अन्दर कितने कनैक्शन्ज़ दिए गए हैं ?

राव इन्द्रजीत सिंह : करनाल में 201 कनैक्शन्ज़ हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें आप किस को दोष देंगे ?

राव इन्द्रजीत सिंह : इसमें तो आपकी सराहना होगी।

श्री अध्यक्ष : यह तो डिमाण्ड और सप्लाई पर निर्भर करता है। जहां पर मांग है, वहां पर कनैक्शन्ज़ दिए गए हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरा जिला पानीपत है।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा यह कहना है कि जहां-जहां के मन्त्री हैं, उन्होंने अपने-अपने जिलों में अपने लोगों को कनैक्शन्ज़ दिलवाए हैं।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आप सवाल पूछें।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर सर, मैं क्वैश्चन ही पुट कर रहा हूं। होम मिनिस्टर साहब और मुख्य मंत्री जी जहां के हैं, वहां पर तो दिल खोल कर कनैक्शन्ज़ दिए गए हैं और दूसरे जिलों में नजरअन्दाजी की जाती रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तो हमारे साथ जो नजरअन्दाजी हो रही है, उसके बारे में ये कुछ सफाई देंगे और साथ ही साथ सी०पी०एस० साहब मुख्य मन्त्री जी की तरफ से यह भी बता दें कि हमारे जिन जिलों के अन्दर पानी का स्तर घटने की वजह से सब-मर्सिबल ट्यूबवैल्ज़ लगवाने के बावजूद भी नलकूपों में पानी नहीं आ रहा है और किसान अपने नलकूपों के फेल होने की वजह से दूसरी जगहों पर ट्यूबवैल्ज़ लगवाने के लिए मजबूर हो रहे हैं जहां मजबूरी के तौर पर नये नलकूप लगाये जा रहे हैं क्या उनके बिजली के कनैक्शन्ज़ प्रायोरिटी के तौर पर जोड़ेंगे ?

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, राव साहब ने जिक्र किया है कि इसमें 10.00 बजे भेदभाव किया गया है। जहां तक इन्होंने फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यमुनानगर के आंकड़े बताए हैं कि इन एरियाज में कनैक्शन ज्यादा हैं। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला भी इसमें शामिल है। (विघ्न) जीन्द भी इसके अन्दर है। स्पीकर सर, आपको पता है कि ट्यूबवैल्ज़ कनैक्शन की मांग कहां से आएगी, जहां पानी ऊपर है। जहां तक आपने मेरा

[प्रो० सम्पत सिंह]

जिक्र किया है और अगर आप मेरे हल्के की बात करेंगे तो फतेहाबाद जिले में सब से कम कनैक्शन मेरे हल्के में हैं। यह क्यों हैं, इसका क्या कारण है ? यह भेदभाव के कारण नहीं है। इसका कारण यह है कि वहां पर पानी ऊपर नहीं है। वहां पर पानी खारा है और पानी का लैवल नीचे है। इसलिए स्वभाविक है कि जहां पर ज्यादा लोग ज्यादा टयूबवैल्ज के कनैक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, वहीं पर ज्यादा कनैक्शन मिलेंगे। जहां पर वाटर लैवल ज्यादा नीचे होगा, वहां पर कनैक्शन के लिए लोग कम अप्लाई करेंगे। जहां तक करनाल, कुरुक्षेत्र और सिरसा का एरिया है, आपके घग्गर की बैल्ट है और यमुना की बैल्ट है, इन दोनों बैल्टों के अन्दर जहां-जहां पर डिमान्ड है, उस डिमान्ड के हिसाब से ही लोग कनैक्शन के लिए अप्लाई करेंगे और डिमान्डज के हिसाब से लोग टयूबवैल्ज पर खर्च करेंगे। जिन लोगों को लगता है कि उनके एरिया में पानी खारा है तो वे लोग क्यों कनैक्शन के लिए पैसा जमा करवाएंगे। स्पीकर सर, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इनको तो फीबिया हो गया है। हरियाणा सरकार किसी मामले में भेदभाव नहीं करती है चाहे वह विकास का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे वह पानी का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, हर मामले में हरियाणा स्टेट के 90 के 90 हल्के बराबर हैं। हमारे लिए हरियाणा एक है। कोई उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी नहीं है। ये लोग हरियाणा को बांटना चाहते हैं। पहले ही बहुत बंटवारा हो चुका है अब हरियाणा नहीं बंटेगा। हरियाणा 2 करोड़ 10 लाख लोगों का 19 जिलों का और 90 हल्कों का एक हरियाणा है। कोई उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वित्तमंत्री जी ने काफी लम्बा चौड़ा भाषण इस सवाल पर दिया है। मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० साहब से निवेदन करना की power is a State resource तो क्या जो कनैक्शन अप्लाई होते हैं, इसकी कोई स्टेट लैवल पर सीनियोरिटी बनाने की बात सोचेंगे ? क्योंकि आपकी इस लिस्ट के हिसाब से साफ डिसक्रिमिनेशन दिख रहा है। अगर टयूबवैल्ज के पैंडिंग कनैक्शन की लिस्ट होती तो उससे क्लीयर पिक्चर सामने आ जाती। क्या आपके पास ऐसी लिस्ट है यदि है तो आप कृपया करके उसको यहां पर बताने का कष्ट करें ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जहां तक राव साहब ने कहा कि शिफ्टिंग के मामले में दूसरे कनैक्शन देते हैं, यह करते हैं और वह करते हैं। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। शिफ्टिंग अलाउड है। (शोर एवं व्यवधान) जहां तक डाक्टर साहब जी ने स्टेट सीनियोरिटी का प्रश्न किया है। (शोर एवं व्यवधान) स्टेट सीनियोरिटी पर कंसीडर किया जाए। स्पीकर सर, बड़े लम्बे समय से डिस्ट्रिक्ट की सीनियोरिटी पर कंसीडर किया जा रहा है और बाकायदा डिस्ट्रिक्ट सीनियोरिटी के डाकुमैंट बनते हैं, तैयार किए जाते हैं तथा रजिस्टर बनते हैं। आलरेडी इस मामले को लेकर के इस लिस्ट को डिस्ट्रिक्ट में ही कंसीडर किया जाएगा।

Amount Written off by H.F.C.

***1064. Shri Jai Parkash Gupta :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any amount of loan has been written off by the Haryana Financial Corporation during the period from 1993-94 till to-date, year-wise separately togetherwith reasons thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : श्रीमान जी, हरियाणा वित्तीय निगम ने वर्ष 1993-94 से 2001-2002 तक 829.63 लाख रुपये मूलधन तथा 1488.68 लाख रुपये ब्याज ऋण निपटान स्कीम के अधीन रद्द किये हैं। अधिक राशि वसूल करने हेतु उन पुराने ऋणियों की ऋण राशि रद्द की गई जिनसे वसूली होनी असम्भव थी। इसी कारण निगम के नोन-परफोरमिंग अस्सैटस में कमी आई है। रद्द की गई राशि का विवरण इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	रद्द की गई राशि	
	मूलधन	ब्याज
1993-94	222.72	664.28
1994-95	43.85	239.95
1995-96	47.90	196.70
1996-97	15.56	46.92
1997-98	499.40	120.74
1998-99	—	18.70
1999-2000	—	48.77
2000-2001	—	57.42
2001-2002	0.20	95.30

बिना लेखा परीक्षित)

श्री जय प्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन यूनिटस को लोन दिया गया था, क्या उन्होंने अपने यूनिट स्थापित किए थे या नहीं ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, गुप्ता जी ने ठीक ही कहा है। 200 के लगभग इस प्रकार की यूनिटस नोटिस में आयी हैं जिन्होंने लोन लेने के बाद अपनी यूनिट नहीं स्थापित की। विजीलैन्स से इस मामले की जांच करवायी गयी है और विजीलैन्स जांच में भी ऐसा ही पाया गया है। स्पीकर सर, 1994 में इन यूनिटस को इस प्रकार के लोन दिये गये थे जिसकी वजह से काफी नुक्सान भी हुआ है। गुप्ता जी, अब अगला प्रश्न यही पूछेंगे कि इस बारे में कार्यवाही क्या की गयी है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि महकमें ने दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों को डिसमिस कर दिया है साथ ही जिन्होंने लोन के बाद अपनी यूनिट स्थापित नहीं कीं उनके खिलाफ भी कार्यवाही जारी है। इनमें से कई गिरफ्तार भी हुए हैं।

श्री जय प्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन यूनिटस के मूल व ब्याज रद्द किये गये हैं उनकी रिकवरी के लिए अब क्या पग उठाए गए हैं और सरकार ने इस बारे में अब क्या पोलिसी एडाप्ट की है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, 1998 से पहले इस बारे में कोई पोलिसी नहीं थी लेकिन 1998 के बाद से इस बारे में पोलिसी बनायी गयी है। इस पोलिसी के अनुसार जो यूनिटस दो से तीन साल के डिफाल्टर होंगे वे 'ए' कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। उनका 25 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जाएगा एवं दंड ब्याज सारा ही माफ कर दिया जाएगा। इसी तरह से इनका पैनल्टी इंट्रस्ट भी सारा माफ होगा। इसके अलावा जो यूनिटस तीन से पांच साल के डिफाल्टर होंगे उनको 'बी' कैटेगरी में गिना जाएगा इनका 50 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज और पैनल्टी इंट्रस्ट भी माफ किया जाएगा। इसी प्रकार से जो यूनिटस पांच साल से ऊपर के डिफाल्टर होंगे उनको 'सी' कैटेगरी में गिना जाएगा उनका 100 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जाएगा। स्पीकर सर, यह पोलिसी सन 1998 में बनायी गयी है। स्पीकर सर, 1998 से पहले का जिस तरह से यह 1994-95 का केस उद्भूत हुआ है तो उस समय माननीय चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लगभग 200 से ऊपर ऐसे लोगों को इंगित किया गया है जिन्होंने लोन तो ले लिया लेकिन अपनी यूनिट स्थापित नहीं की। जिस कारण लगभग 97 करोड़ रुपये का इन्वैजलमैन्ट हुआ।

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर - - - -

श्री अध्यक्ष : अनिता जी, क्या आप कोई सप्लीमैंट्री पूछना चाहती हैं ?

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, जब किसानों के हक से संबंधित कोई मामला होता है उस समय तो आप हमें बोलने नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : अनिता जी, अब आप बैठ जाएं।

श्री जय प्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी0पी0एस0 साहब से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों का यह लोन (मूलधन व ब्याज) माफ किया है उसकी रिकवरी के लिए क्या पग उठाए गए थे और क्या ये लोन देते समय श्योरिटी का प्रावधान था और अगर लोनी रिकवरी के समय लोन नहीं दे पा रहे थे तो क्या उन यूनिटों को सेल किया गया और सेल करने के बाद उनका जो मूल व ब्याज बचा है उसकी रिकवरी के लिए क्या पग उठाए गए हैं, ये बताने की कृपा करें।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जांच अभी जारी है पूरा निचोड़ या कंक्लूजन नहीं आया है। उनसे रिकवरी के मामले को लेकर कई कोर्टस में केस दायर उन्होंने किए हैं, कईयों के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है जहां तक श्योरिटी की बात थी, स्पीकर सर, थर्ड पार्टी को पेमेन्ट जाती है जहां तक थर्ड पार्टी को पेमेन्ट करने का प्रश्न था जैसे मशीनरी वाले को मशीनरी की पेमेन्ट करनी चाहिए थी जैसे इक्विपमैंट की पेमेन्ट इक्विपमैंट ऐजेंसी को करनी चाहिए थी, वह न करके डायरैक्ट पेमेन्ट कर दी गई। जहां पर पेमेन्ट थर्ड पार्टी को न देकर डायरैक्ट पेमेन्ट कर दी गई। उनसे रिकवरी का जहां तक प्रश्न है, अभी केस दर्ज किये गये हैं उनसे रिकवरी भी ली जाएगी और विजिलैंस की रिपोर्ट आने के बाद चाहे वे कितने भी बड़े आदमी हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० साहब से जानना चाहूंगा कि जो विजिलैंस इंक्वायरी चल रही है उसकी क्या कोई समय सीमा निर्धारित की है ताकि दोषी लोगों को सजा दिलाई जा सके ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जहां तक सजा देने का सवाल है, उनकी रिपोर्ट पर ही 9 कर्मचारियों और अधिकारियों को डिसमिस किया गया है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है

यह पहली बार हुआ कि कई यूनिटस के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज हुई। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जहां तक विजिलैंस की रिपोर्ट की बात है, वह जारी है। काम पूरा होने पर रिपोर्ट दे देंगे। वैसे उन्हें जल्दी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मसला है कि फर्जी यूनिटों को लोन दे दिया गया और उस लोन का मूल और ब्याज भी सरकार ने माफ कर दिया। ये तो उन दोषी लोगों को प्रोत्साहन देने वाली बात हुई। सी०पी०एस० साहब ने यह भी बताया है कि कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो इसके लिए क्या पग उठाए गए हैं ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जो पोलिसी बनाई गई है उसमें मूल माफ करने की बात नहीं है और यूनिट को अपना कैपिटल भी इन्वैस्ट करना पड़ेगा। पीछे जो हुआ है, उसमें यह सही है कि मूल भी माफ किया गया है।

श्रीमती अनीता यादव : आप लोग यही काम करेंगे। (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा : अनीता जी, यह काम आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने किया है। यह 1994 का मामला है, जो मैं बता रहा हूं। मैडम, आप पढ़ लिया करें।

श्रीमती अनीता यादव : मैंने पढ़ लिया है।

श्री राम पाल माजरा : क्या पढ़ लिया है। (शोर एवं व्यवधान) 1993 में इन्होंने मूल का 222 करोड़ रुपया माफ किया है और फिर 1994 में भी किया है और इसी तरह से 1995 में भी किया है। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग ऐसे कामों में लगे रहे, आपका राज था। (विघ्न)

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लग गये।)

चौधरी जय प्रकाश : स्पीकर सर, यह गलत था।

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, यह सरकार महिलाओं की इज्जत की बात करती है और आज एक महिला को डराया जा रहा है।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मैंने यह प्रश्न पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने यह प्रश्न पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : आप सभी सदस्यगण अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाईये। आप इस तरह क्या दिखाना चाहते हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इनकी हालत देख लो।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप अपने मैम्बर्ज को बैठाइये।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सी०पी०एस० साहब को ऐसा नहीं करना चाहिये और जो इन्होंने कहा है उसके लिए इन्हें खेद प्रकट करना चाहिये।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इन्होंने उस प्रश्न को पढ़ने की कोशिश नहीं की। अगर इस बात से भी उनको आघात पहुंचा है तो मैं उनको इस बारे में अपने आप कह दूंगा। वास्तव में यह सवाल उन्होंने पढ़ा नहीं है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आज महिलाओं की मांगों के बारे में नहीं कहा गया है बल्कि पीटने के बारे में कहा गया है।

श्रीमती सरिता नारायण : अध्यक्ष महोदय, यह एक नाटक का रोल अदा किया जा रहा है। माननीय सदस्या को यह नहीं पता कि सदन में कैसे बोला जाता है। उनको पता होना चाहिये कि सदन में अध्यक्ष की परमिशन लेकर बोला जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्रीमती वीना छिब्बर : अध्यक्ष महोदय, मेरी आदरणीय बहन को यह नहीं पता कि सदन में कैसे बोला जाता है। उनको पता होना चाहिये कि सदन में अध्यक्ष की आज्ञा लेकर बोला जाता है। वे बैठकर बोल रही हैं अगर वे आज्ञा लेकर बोलती और फिर कुछ हो जाता तो हम उनका साथ देतीं। वे तो सिर्फ नाटक कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

Modernization of Police

***1088. Shri Malik Chand Gambhir :** Will the Chief Minister be pleased to state the year wise amount received from Central Government for the modernization of Police during the last ten years ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : विवरणिका विधान सभा पटल पर रखी है।

विवरणिका

वर्ष 1992-93 से वर्ष 2001-2002 के दौरान पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के तहत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष यह धनराशि प्रदान की गई :-

क्रमांक	वर्ष	भारत सरकार द्वारा धन वितरण
1.	1992-93	रुपये 100.250 लाख
2.	1993-94	रुपये 35.950 लाख
3.	1994-95	रुपये 35.855 लाख
4.	1995-96	रुपये 71.710 लाख
5.	1996-97	रुपये 35.855 लाख
6.	1997-98	रुपये 71.710 लाख
7.	1998-99	रुपये 71.710 लाख
8.	1999-2000	रुपये 319.520 लाख
9.	2000-2001	रुपये 2832.50 लाख
10.	2001-2002	रुपये 2446.00 लाख

श्री मलिकचंद गम्भीर : अध्यक्ष महोदय, पुलिस मॉडर्नाईजेशन का जो ब्यौरा दिया गया है, उसको प्रति वर्ष के हिसाब से ध्यान से देखें तो कांग्रेस के राज में उसकी गिनती बहुत कम है और

चौधरी बंसी लाल जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उस समय की गिनती भी बहुत कम है। लेकिन जब से परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार प्रदेश में आई है, उसके बाद पुलिस माडर्नाईजेशन में कई गुणा बढ़ोतरी की गई है। पुलिस माडर्नाईजेशन के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि हमारी पुलिस को माडर्नाईजेशन करने के लिए जो सैंटर से एड आई है, और जो सरकार की योजना है, उसमें कितना पैसा मिला है और वह कहां-कहां पर खर्च करने का विचार है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, यह ठीक है कि हरियाणा प्रदेश में पुलिस का मॉडर्नाईजेशन करने के लिए पग उठाये गये हैं। इन सबको लेकर के लॉ एण्ड आर्डर को ठीक रखने के लिए ये सब सदम उठाए जा रहे हैं। उनमें जिस प्रकार से यह दर्शाया गया है कि इतना-इतना बजट हरियाणा प्रदेश की पुलिस की मॉडर्नाइजेशन मद पर खर्च होगा। जहां तक इन्होंने पूछना चाहा है कि वह खर्चा कहां-कहां करने जा रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा। नई व पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त के लिए जिसमें बुलट प्रूफ, माइन प्रूफ गाड़ियां हों, जिनकी आजकल बहुत जरूरत है, इसलिए इनकी खरीद के लिए और पुरानी गाड़ियों की मुरम्मत करवाने के लिए यह पैसा खर्च किया जाएगा और इसी प्रकार से दूर संचार की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए और प्रशिक्षण केन्द्रों में भवनों को बढ़ाने के लिए, उन्हें ठीक करवाने के लिए भी यह पैसा खर्च किया जाएगा। प्रशिक्षण केन्द्रों में सहूलियतें देने के लिए, मशीनरी को और बढ़ाने के लिए इस में से खर्च किया जाएगा। एफ०एस०एल०, एफ०पी०बी० पर भी सहूलियतें दी जाएंगी। जांच पड़ताल, गैदरिंग से सम्बन्धित यंत्र इसमें शामिल हैं। आज सारा युग मॉडर्नाइज हो रहा है, कम्प्यूटराइज हो रहा है वहीं इन केन्द्रों पर भी कम्प्यूटर लगाये जाएंगे। पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों, भवनों और पुलिस लाईन्स की सुरक्षा के लिए, महिला पुलिस को सहूलियतें देने के लिए, कंट्रोल रूम लगाने के लिए, नाइट विजन डिवाइस, मैटल डिटैक्टर, बम्ब डिस्पोजल इक्यूपमैंट्स, बोडी प्रोटैक्टर, बुलट प्रूफ आदि इस प्रकार के जरूरी सुरक्षा यंत्र शामिल हैं। आधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल यंत्र आदि लगाने के लिए भी यह पैसा खर्च किया जाएगा। इसी प्रकार से पुलिस के लोगों के रहने के लिए मकान बनाए जाएंगे ताकि हरियाणा प्रदेश के पुलिस कर्मचारी, अधिकारियों को अच्छे मकान दिए जा सकें और वे अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर सकें। इस लिए हरियाणा प्रदेश के मुखिया के अथक प्रयासों से हरियाणा प्रदेश की पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए बजट में बढ़ोतरी हो सकी है।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि रख रखाव के लिए 2 वर्षों में पैसा काफी आया है लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें से कितना पैसा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने में खर्च किए गए हैं क्योंकि मेरे पास ऐसे तथ्य हैं। अकेले सिरसा जिले में 400 मुकदमे दर्ज किए गए, जींद जिले में 20 मुकदमे दर्ज किए गए। हरियाणा का पूरे हिन्दुस्तान में अपराध प्रतिशत 58 है।

श्री राम पाल माजरा : इस पैसे में से कोई पैसा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने पर खर्च नहीं किया गया। पंजाब में यदि इस तरह पर्चे दर्ज होते हैं, तो ये कहते हैं कि ठीक है। अब हरियाणा में अपराधियों के खिलाफ पर्चे दर्ज होते हैं, तो इनको ऐतराज होता है। (शोर एवं व्यवधान) कोई भी गुंडागर्दी करेगा तो उसके खिलाफ जरूर पर्चा दर्ज किया जाएगा।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठें, मंत्री जी खड़े हैं। जय प्रकाश जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुकदमे जितने दर्ज हुए हैं, अपराधियों के खिलाफ हुए हैं। यह कोई राजनीतिक विरोधी का मामला नहीं है और न ही पार्टी का मामला है। अपराधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और होते रहते हैं। जहां तक क्राइम की बात है तो क्राइम पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। इन्होंने मुकदमों का जिक्र कर दिया तो मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादतियां अगर होती हैं तो जो निम्न वर्ग होता है, उनके साथ और महिलाओं के साथ होती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय * * * (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय * * *

श्री अध्यक्ष : जो भी माननीय सदस्य बगैर इजाजत बोल रहे हैं उनकी बात रिकार्ड न की जाये।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं कह रहा था कि अगर ज्यादतियां होती हैं तो वह निम्न वर्ग और महिलाओं के साथ होती हैं। आज मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया की सोशल वैलफेयर मिनिस्टरी ने और हमारे सोशल वैलफेयर मिनिस्टर ने अब जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि हरियाणा अट्रोसीटीज मुक्त प्रदेश है। स्पीकर सर, इनकी 1993 और 1995 की दो सालों की रिपोर्ट भी मेरे पास है जिसमें दर्शाया गया है कि हरियाणा के अंदर अम्बाला, करनाल, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद इन पांचों जिलों में 1993 और 1995 में अट्रोसीटीज निम्न वर्ग के लोगों और महिलाओं पर हुई। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इन्होंने मुकदमें के बारे में पूछा है, क्राईम के बारे में पूछा है इसीलिए मैं बताना चाहता हूं। स्पीकर सर, यदि ये कहते हैं तो इनमें सुनने का मादा भी होना चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, सवाल क्या है और मंत्री जी जवाब क्या दे रहे हैं ? इनके जवाब का सवाल के साथ कोई कनैक्शन नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं मानता हूं कि सवाल से जवाब का कोई कनैक्शन नहीं है लेकिन जय प्रकाश बरवाला जी ने जो सप्लीमैंटरी की है उससे मेरे जवाब का कनैक्शन है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, प्लीज आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) जय प्रकाश जी की कोई भी बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाह रहा हूं कि इनकी सरकार के समय में निम्न वर्ग के लोगों और महिलाओं के साथ क्या-क्या अत्याचार होते थे और हमारी सरकार के समय उनको कितना सम्मान दिया जाता है। 11 जून 2002 को भारत सरकार

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की चिट्ठी आई है जिसमें कहा गया है कि हरियाणा अत्याचार प्रोन एरिया नहीं है और इसका श्रेय हरियाणा प्रदेश के लोगों को जाता है, हरियाणा सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है, हरियाणा प्रदेश की पुलिस को जाता है, हरियाणा प्रदेश के प्रशासन और कानून व्यवस्था को जाता है। लेकिन मेरे विपक्ष के साथी जो इस तरह की गलत बातें बोलते हैं उनमें कोई दम नहीं है। भारत सरकार ने खुद माना है कि हरियाणा अत्याधार प्रोन एरिया नहीं है। स्पीकर सर, इससे फालतू न्याय क्या होगा, इससे फालतू कानून व्यवस्था का राज और क्या होगा कि भारत सरकार स्वयं माने कि हरियाणा अत्याचार प्रोन एरिया नहीं है। इस बात के लिए मेरे विपक्ष के साथियों को सरकार की सराहना करनी चाहिए बजाय अखबार और कागज उठाकर फालतू की बात करने के। स्पीकर सर, हमने किसी के खिलाफ भी राजनैतिक भावना रखते हुए मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं और आगे भी दर्ज होते रहेंगे चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों। यदि अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज होने बंद हो जायेंगे तो अपराधी प्रवृति के लोग बढ़ जायेंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : बरवाला जी मेरी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं, इसलिए ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

Government Girls College, Fatehabad

***1069. Shri Lila Krishan :** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the building of Govt. Girls College, Fatehabad ;

(b) if so, the time by which the construction work of said building is likely to be started ; and

(c) whether there is also any proposal to construct the Hostel in the College referred to in part (a) above ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) इस भवन का निर्माण कार्य चालू वित्त वर्ष 2002-2003 में आरम्भ किये जाने की सम्भावना है।

(ग) नहीं, श्रीमान जी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Realisation of Revenue in Power Utilities

***1098. Shri Puran Singh Dabra :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any increase in assessment and revenue realization of power utilities during the year 2001-2002 as compared to 1998-99 , if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान, पावर इकाइयों के राजस्व में वर्ष 1998-99 के 2052.00 करोड़ रुपये की अपेक्षा वर्ष 2001-2002 के दौरान 2945.00 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है जोकि 43.52 प्रतिशत है। इसी तरह वसूली में वर्ष 1998-99 के 1758.00 करोड़ रुपये की अपेक्षा वर्ष 2001-2002 में 2676.00 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है जोकि 52.22 प्रतिशत है।

Sports Stadium at Kaithal

***1074. Shri Lila Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Sports Stadium at Kaithal ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां, श्रीमान।

(ख) भूमि अधिग्रहण की जा रही है। स्टेडियम निर्माण का कार्य भूमि अधिग्रहण उपरांत किया जायेगा।

Construction of Roads by HSAMB in Faridabad

***1123. Shri Rajinder Singh Bisla :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the Constituency-wise details of New Road in Kilometres constructed by the Haryana State Agriculture Marketing Board during the period from April, 1996 to 31st July, 1999 and from 1st August, 1999 to 31st May, 2002 in district Faridabad togetherwith the expenditure incurred thereon ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : जिला फरीदाबाद में निर्मित सड़कों की लम्बाई खर्चे सहित निम्नलिखित है :—

क्रमांक	अवधि	सड़कों की लम्बाई	निर्माण पर व्यय
1.	1-4-96 से 31-7-99	56.66 कि०मी०	252.22 लाख रुपये
2.	1-8-99 से 31-5-2002	143.05 कि०मी०	860.89 लाख रुपये

निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जाता है।

ब्यौरा

निर्वाचन क्षेत्रवार जिला फरीदाबाद में निर्मित सड़कों की लम्बाई खर्च सहित निम्नलिखित है :—

क्र०	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्मित सड़कों की लम्बाई (किलोमीटरों में)		सड़कों के निर्माण पर खर्च (रुपये लाखों में)	
		1-4-96 से 31-7-99 तक	1-8-99 से 31-5-2002 तक	1-4-96 से 31-7-99 तक	1-8-99 से 31-5-2002 तक
1.	फरीदाबाद	1.30	2.85	7.76	26.04
2.	मेवला महाराजपुर	8.65	9.39	49.13	67.96
3.	बल्लबगढ़	5.07	29.38	24.54	187.40
4.	हथीन	6.10	38.20	34.43	209.55
5.	हसनपुर	11.11	30.25	34.50	202.44
6.	पलवल	24.43	32.98	101.86	167.50
	कुल योग :	56.66	143.05	252.22	860.89

Amount Spent on gifts given by HARCO Bank

***1185. Shri Nafe Singh Rathi :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) whether any gifts have been presented to the politicians and officers by HARCO BANK during the period from 1st July, 1991 to 20th May, 1996, if so, the amount thereof ?

(b) whether the aforesaid gifts were given in accordance with rules of the Bank ; and

(c) if not, whether any action has been taken against the officers who were responsible for presenting the said gifts and recipients thereof ?

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे तारांकित प्रश्न संख्या 1185 के बारे में सहकारिता मन्त्री की तरफ से 15 दिन के लिए एक्सटेंशन की रिक्वैस्ट आई है जोकि मैंने ग्रान्ट कर दी है और इस पत्र के कान्टैंट्स इस प्रकार हैं—

[श्री अध्यक्ष]

"Interim reply"

"करतार सिंह भडाना

अ० स० पत्र क्र० .....

सहकारिता मन्त्री,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

दिनांक 2-9-2002

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

तारांकित प्रश्न संख्या 1185 माननीय सदस्य श्री नफे सिंह राठी द्वारा पूछा गया है। इस प्रश्न के लिए 1991 से 1996 तक पांच साल के तिथि वार आंकड़े इक्कठे करने में समय लगेगा।

अत: आप से अनुरोध है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 15 दिन का समय देने की कृपा करें।

सादर,

आपका,

हस्त०/-
(करतार सिंह भडाना)

श्री सतबीर सिंह कादियान,
अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,
चण्डीगढ़।"

---

*Final reply to this Question appears as Annexure to this Debate.

Atrocities on Scheduled Castes

***1087. Shri Amar Singh Dhanday :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the year-wise number of cases of atrocities such as murder, beating and rape committed on scheduled castes registered during the last 10 calendar years ; and

(b) the steps taken or proposed to be taken to check such atrocities ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

राज्य में गत 10 वर्षों में अनुसूचित जातियों पर अत्याधार जैसे हत्या, मारपीट व बलात्कार के कलैण्डर वर्षवार दर्ज किये गए मुकदमों का विवरण :—

वर्ष	दर्ज मुकदमों की संख्या		
	हत्या	मारपीट	बलात्कार
1992	14	40	26
1993	13	38	18
1994	11	47	22
1995	15	49	30
1996	12	36	22
1997	8	56	30
1998	15	49	34
1999	13	55	40
2000	12	76	37
2001	13	61	24

(ख) राज्य में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. राज्य सरकार द्वारा "अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम" 1989 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचारों से सम्बन्धित दर्ज मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर "वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश" को अधिसूचना जारी करके "विशेष न्यायालय" घोषित किया गया है।
2. इसी तरह उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों की पैरवी "विशेष न्यायालयों" में करने हेतु राज्य के प्रत्येक सैशन डिवीजन में तैनात लोक अभियोजक को अधिसूचना जारी करके "विशेष लोक अभियोजक" नियुक्त किया गया है।
3. अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत राज्य के प्रत्येक जिला में "विशेष सैल" खोले गये हैं, जिनका इन्चार्ज जिला पुलिस निरीक्षक है और यह सैल सीधे ही जिला पुलिस अधीक्षक की निगरानी में कार्य करता है, जहां पर अत्याचारों से सम्बन्धित शिकायतों पर दर्ज केसों की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।
4. अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमों का अनुसंधान राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा इन मुकदमों को "स्पेशल रिपार्टिड केस" जाना जाता है जिनके अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा रेंज तथा राज्य पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी की जाती है।

5. गैर अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों पर किए गए अत्याचारों से सम्बन्धित घटनाओं पर दर्ज मुकदमों के सम्बन्ध में आंकड़े तथा प्रगति रिपोर्ट की "मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक रिटर्नज" राज्य एवं केन्द्र सरकार को भी नियमित रूप से पर्यवेक्षण हेतु भेजी जाती है।

6. अनुसूचित जाति/जनजातियों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमों की सूचना केन्द्र सरकार से नियमित रूप से आदान प्रदान हेतु राज्य पुलिस मुख्यालय पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी "नोडल आफिसर" नियुक्त किए गए हैं जो इन मामलों का गहनता से अध्ययन करके समीक्षा करते हैं।

7. हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुवन में प्रत्येक पुलिस प्रशिक्षणार्थी को प्रारम्भिक बेसिक ट्रेनिंग के दौरान अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को विभिन्न पदोन्नतियों से पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण कोर्सिज के दौरान भी उक्त अधिनियमों के सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

8. इस अधिनियम के बारे हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित सामग्री जिला मुख्यालयों, न्यायालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई है ताकि ऐसे अत्याचारों से पीड़ित व्यक्ति सक्षम न्यायालय से न्याय प्राप्त कर सकें।

Number of persons benefitted under Old Age Pension Scheme

***1125. Shri Sher Singh :** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state—

(a) the total number of persons who are being benefitted under old age pension scheme in the State at present ;

(b) whether any specific period has been fixed to conduct fresh survey to identify the persons who become eligible for old age pension, if so, the details thereof ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री रिसाल सिंह) :

(क) इस समय राज्य में ताऊ देवी लाल वृद्धावस्था पैंशन योजना के अन्तर्गत कुल 8,88,348 व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है।

(ख) वृद्धावस्था पैंशन के लिए पात्र हो गये व्यक्तियों की पहचान करने के लिए मास मई-जून 2002 में सर्वेक्षण करवाया गया। इस समय नये पहचान किये गये व्यक्तियों का पुनर्सत्यापन किया जा रहा है।

Export of Basmati Rice and Wheat

***1101. Shri Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) whether the Government agency like HAFED has entered into export market of Basmati Rice ; if so, the details thereof ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to enter into the export market for wheat ; if so, the details thereof ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) :

(क) हां, श्रीमान जी। हैफेड ने बासमती चावल के निर्यात बाजार में प्रवेश किया है तथा वर्ष 2001-2002 में 430 क्विंटल बासमती चावल का आस्ट्रेलिया को निर्यात किया है।

(ख) हैफ़ेड ने गेहूं के निर्यात हेतु भी निर्यात बाजार में प्रवेश किया है तथा सिंगापुर, बंगलादेश व गल्फ देशों को लगभग एक लाख टन गेहूं के निर्यात के आर्डर जिसकी अनुमानित कीमत 40 करोड़ रुपये है, प्राप्त किये हैं।

Amount Spent on Roads

***1170. Shri Ranbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the details of the amount spent on the construction/maintenance/repair of roads in the State separately during the last three years and also the amount spent on this account during the last tenure i.e. 1996 to June, 1999 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : सम्बन्धित अवधि के दौरान सड़कों के निर्माण, रख-रखाव तथा मरम्मत पर खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

अवधि	खर्च की गई राशि (रुपये लाखों में)			
	निर्माण	रख-रखाव	मरम्मत	जोड़
जुलाई, 1999 से अब तक	27404.02	54678.15	42835.90	124918.07
1996 से जून, 1999 तक	7490.92	27722.74	24667.34	59881.00

Voluntary Disclosure Scheme

***1102. Shri Ramesh Rana :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the power distribution utilities have launched Voluntary Disclosure Scheme in June, 2002 for regularization of the unauthorized extended load for domestic, agriculture, industrial and commercial consumers, if so, the response of the consumers thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान, वितरण बिजली कम्पनियों ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरेलू तथा गैर घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि नलकूप बिजली उपभोक्ताओं के लिए जून, 2002 में स्वैच्छिक भार घोषणा योजना प्रारम्भ की है जो दिनांक 10-6-2002 से 15-7-2002 तक तथा दिनांक 1-8-2002 से 31-8-2002 तक परिचालन में रही। उपभोक्ताओं का रिस्पोन्स उत्साह वर्द्धक था तथा इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 15-8-2002 तक 16,615 उपभोक्ताओं ने 73063 किलोवाट अनधिकृत भार की घोषणा की।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा घोषित भार का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

स्कीम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा घोषित किये गये भार का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	उपभोक्ताओं की श्रेणी	आवेदकों की संख्या	घोषित किया गया भार किलोवाट में
1.	घरेलू आपूर्ति	1911	6268.947
2.	गैर घरेलू आपूर्ति (वाणिज्यिक)	337	2533.692
3.	औद्योगिक	464	10199.650
4.	कृषि सम्बन्धी	13903	54060.480
	योग	16615	73062.769

Animal Feed Plant

***1091. Shri Sita Ram :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) whether the HAFED has set up any Animal Feed Plant in the State during the year 2000-2001 to 2001-2002 to-date ; if so, the details thereof ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up such more plants in the State in future ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) :

(क) हां, श्रीमान् जी। वर्ष 2001-2002 के दौरान हैफ़ेड ने 50 टन प्रतिदिन की क्षमता का एक पशु चारा संयंत्र सक्ताखेड़ा (जिला सिरसा) में स्थापित किया है।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

Decreasing Water Table

***1173. Shri Bishan Lal Saini :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the water table of Northern Haryana has gone down ;

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to raise the water table of the aforesaid area ; and

(c) whether the Government intend to construct the Dadupur Nalvi Canal ; if so, the time by which the construction work of the said canal is likely to be started ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) मीठे जल क्षेत्र से गुजरने वाली ड्रेनों में निचली सतह के छोटे बन्धे (हम्पस) बनाने की प्रस्तावना है, इसके अतिरिक्त आवर्धन नलकूपों को जलस्तर पुनरावर्ती कुओं में बदला जाएगा। राज्य में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण तालाबों की खुदाई की गई है। शिवालिक पहाड़ियों के साथ कन्डी परियोजना के अन्तर्गत वर्षा के जल को संचित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर की पुनरावर्ती के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं और केन्द्रीय भूमिगत जलबोर्ड को स्वीकृति एवं आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रस्तुत की हुई है।

(ग) योजना सरकार के विचाराधीन है।

Agreement between Government and B.K.U.

***1095. Shri Raghuvir Singh Kadian :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any agreement has been signed between the representatives of the Haryana Government and Bhartiya Kisan Union on 30th January, 2002 at Jind, if so, the details thereof.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी नहीं।

Setting up of 7th & 8th Units of TDLPTPS

***1077. Shri Jasbir Mallour :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 7th & 8th unit of TDLPTPS, if so, the details thereof together with the time by which it is likely to be commissioned ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान। ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत में 2x250 मैगावाट क्षमता की 7वीं व 8वीं इकाई (अर्थात 500 मैगावाट) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिनकी अनुमानित लागत 1785.36 करोड़ रुपये है। इन इकाईयों को स्थापित करने का कार्य दिनांक 26-3-2002 को टर्नकी जॉब के आधार पर मैसर्ज बी०एच०ई०एल० को दिया गया है जिसके अनुसार 7वीं तथा 8वीं इकाई को क्रमशः 31 तथा 35 महीनों में चालू करने का अनुबन्ध है और यह भरसक प्रयास रहेगा कि 7वीं इकाई को 29 महीनों में चालू किया जाए। प्लांट स्थल पर निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है।

Widening of Roads

***1166. Shri Shashi Parmar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to widen the following roads :—

(i) from Bhiwani to Rohtak ;

(ii) Bhiwani to Gohana via Meham ;

[Shri Shashi Parmar]

(iii) Bhiwani-Jind Road ;

(iv) Bhiwani to Hansi ;

(v) Bhiwani to Jhupa via Behal ; and

(vi) Bhiwani-Loharu ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान् जी।

अतारांकित प्रश्न एवम् उत्तर

Challans of Vehicles

126. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) the total number of challans of vehicles have been made by R.T.A., Faridabad during the year 2000 and 2001 ;

(b) the total number of challans cancelled during the said period togetherwith the reasons thereof ?

परिवहन मन्त्री (श्री अशोक कुमार अरोड़ा) :

(क) वर्ष 2000 तथा 2001 के दौरान आर०टी०ए०/डी०टी०ओ०, फरीदाबाद द्वारा वाहनों के कुल 6307 तथा 4112 चालान किये गये।

(ख) उक्त अवधि के दौरान कोई चालान रद्द नहीं किया गया।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried.

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों के नोटिसों के सम्बन्ध में सूचना

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, मेरे कुछ एडजर्नमेंट मोशन थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरे भी कुछ काल अटैंशन मोशन्ज थे, उनका क्या हुआ (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, हमारे जो एडजर्नमेंट मोशन और काल अटैंशन मोशन्ज थे, उनका क्या हुआ। पहले आप हमें इनके बारे में बतायें, उसके बाद ही अगला बिजनैस टेकअप करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिये। मैं आप सभी को सभी एडजर्नमेंट मोशन्ज और काल अटैंशन मोशन्ज के बारे में बता देता हूं। पहले आप सभी बैठिये।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला, कैप्टन अजय सिंह यादव और श्री कर्ण सिंह दलाल का ड्राउट इन दि स्टेट ऑफ हरियाणा के बारे में जो कालिंग अटैंशन मोशन था, वह मन्जूर किया गया था और उस पर डिस्कशन हो चुकी है। भगवान सहाय रावत और दो अदर मैम्बर्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में कालिंग अटैंशन मोशन था, वह डिसअलाऊ कर दिया। कर्ण सिंह दलाल का इन स्फीशियंट सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम आगरा कैनाल के बारे में कालिंग अटैंशन मोशन था, वह डिस अलाऊ कर दिया गया है। कर्ण सिंह दलाल का ही ड्राउट सिचुएशन इन हरियाणा एण्ड नोन कम्पलाएंस ऑफ गवर्नमैंट आर्डर रिगार्डिंग गिरदावरी के बारे में जो कालिंग अटैंशन मोशन था, वह पहले ही आ चुका है। कर्ण सिंह दलाल का ही क्रैक इन हाउसिज इन सम एरियाज ऑफ पलवल सिटी के बारे में जो कालिंग अटैंशन मोशन था, वह गवर्नमैंट के कुमेंटस के लिए भेज दिया गया है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और फाईव अदर्ज एम०एल०एज० का नोन-पेमेंट ऑफ शूगर केन प्राईस के बारे में जो कालिंग अटैंशन मोशन था, वह पहले आ चुका है और इस कालिंग अटैंशन मोशन पर पहले बहस हो चुकी है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अन्य 5 एम०एल०एज० का कन्स्ट्रक्शन ऑफ एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में जो कालिंग अटैंशन मोशन था उस पर भी कल बहस हो चुकी है। रघुबीर सिंह कादियान का डैमेज ऑफ रोडस इन दि विलेजिज ऑफ बेरी कांस्टीच्यूऐंसी के बारे में जो कालिंग अटैंशन मोशन था, वह डिसअलाऊ कर दिया है। कर्ण सिंह दलाल का नोन पेमैंट आफ शूगर केन टू फारमर्ज के बारे जो कालिंग अटैंशन मोशन था, वह डिस अलाऊ कर दिया गया है क्योंकि यह आपने लेट दिया था। रघुबीर सिंह कादयान का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम रावी एण्ड व्यास रीवर पर जो कालिंग अटैंशन मोशन था, वह डिसअलाऊ कर दिया है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और 5 दुसरे एम०एल०एज० का इल्लीगल डैमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्ज पर जो शोर्ट डयूरेशन डिस्कशन करने का नोटिस था, यह भी

[श्री अध्यक्ष]

डिसअलाऊ कर दिया गया है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा व 5 दूसरे एम०एल०एज० का एडजर्नमेंट मोशन कन्स्ट्रक्शन ऑफ एस०वाई० कैनाल इन पंजाब एरिया था, वह एज ए कालिंग अटैंशन मोशन एडमिट कर दिया गया था, और उस पर बहस हो चुकी है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और 5 दूसरे एम०एल०एज० का अलारमिंग ड्राउट सिचुएशन इन दि स्टेट पर जो एडजर्नमेंट मोशन था, इस बारे में जो कालिंग अटैंशन मोशन नं० 1 था, उस समय इनको सप्लीमेन्टरी पूछने का मौका मिल चुका है और बहस हो चुकी है। रघुबीर सिंह कादियान का और दूसरे 11 एम०एल०एज० का इक्वीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फार इरीगेशन के बारे में जो एडजर्नमेंट मोशन था, वह डिसअलाऊ कर दिया है। श्री बी०एस० हुड्डा और दूसरे 11 एम०एल०एज० का फ्रस्ट्रेशन इन-सिक्योरिटी ऑफ दि एम्पलाइज पर जो एडजर्नमेंट मोशन था, वह डिसअलाऊ किया गया है। श्री आर०एस० कादियान का रिगार्डिंग एजिटेशन बाई फारमर्ज के बारे में जो एडजर्नमेंट मोशन था, वह भी डिसअलाऊ किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

विभिन्न मामले उठाना

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठें (विघ्न) आप लोग अपना आचरण सुधारें और हाउस की कार्यवाही में इन्टरवीन न करें। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, हाउस की प्रोसीडिंग्ज में रूकावट डाली जा रही है मेहरबानी करके आप इनको ठीक करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने एक-एक एम०एल०एज० की मोशंज का फेट बता दिया है और आप समझ चुके हैं। आपकी चेयर को डिस्ओबे करने की आदत हो गई है। प्लीज़ आप बैठें। (विघ्न) आप

अपनी इस आदत को थोडा सुधारें। आप एक सीनियर एम०एल०ए० हैं और पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर भी रह चुके हैं फिर भी आप ऐसा आचरण कर रहे हैं। आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती, आप प्लीज बैठें। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज़ हाउस को डैकोरम में लाएं (शोर एवं व्यवधान) आपकी परमिशन के बिना जो बोला जा रहा है मेरा निवेदन है कि वह कार्यवाही में नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बगैर परमिशन के जो भी बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए (शोर एवं व्यवधान) यह क्वैश्चन आवर नहीं है। (विघ्न) दलाल साहब आप बैठें। (विघ्न) सारे हरियाणा की सड़कें बढ़िया बन रही हैं और बेरी की सड़क भी बन जाएगी। कादयान् साहब, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) बगैर परमिशन के जो बोला जाएगा वह रिकार्ड नहीं होगा। (विघ्न) कादयान् साहब, आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं होगी इसलिए आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, आज विधान सभा के सत्र की अंतिम सीटिंग है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, पिछले दो दिनों में हरियाणा के हितों के जरूरी ईशू थे, उन पर सदन में चर्चा हुई है। एस०वाई०एल० पर मुख्यमंत्री जी ने हाउस को विश्वास दिलाया है कि इस बारे में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और एस०वाई०एल० कैनाल का पानी हरियाणा में लाया जाएगा। इसी तरह से ड्राउट पर थोड़ी सी चर्चा हुई उसके बाद राजस्व मंत्री श्री धीरपाल सिंह जी ने बड़े विस्तार से जवाब दे दिया कि किसी भी किसान के साथ किसी प्रकार की भी ज्यादती नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे जानना चाहूंगा कि यहां पर दो इम्पोर्टेंट ईशू डिस्कस हुए लेकिन इसके अलावा एक और ईशू है जो कि हरियाणा स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि यह सैशन चल रहा है और इसके 6 महीनों के बाद विधान सभा का अगला सत्र आता है। इन 6 महीनों के दौरान जिन लोगों का स्वर्गवास हो जाता है उनको इस हाउस में श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी प्रकार मैं यह कहना चाहता हूं कि इन 6 महीनों में हरियाणा में ला एंड आर्डर की क्या स्थिति होती है और जैसा कि चर्चा के दौरान यह बताया गया कि पुलिस के लिए हथियार खरीद रहे हैं, यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं। उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज अखबारों में चर्चा होती है इतने मर्डर हो गए, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, ये किस ईशू पर बोल रहे हैं। ये किस विषय पर बोल रहे हैं। ये जो विषय से हट कर बोल रहे हैं वह कार्यवाही से निकलवा दी जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी, आप किस ईशू पर बोल रहे हैं। आप ईशू से हटकर मत बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे बोलने की इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं ला एण्ड आर्डर पर बोल रहा हूं और यह एक महत्वपूर्ण ईशू है। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा के लोगों की जान-माल की रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है और महिलाओं की जीवन की रक्षा करना भी सरकार की एक महत्वपूर्ण ड्यूटी है। (शोर एवं व्यवधान) अगर इस बारे में भी हम सदन में चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप यहां पर सड़कों की, पानी की और बिजली की बात करते हैं। अगर लोगों की सुरक्षा नहीं होगी तो सड़कें, बिजली और पानी किस काम के हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) गुप्ता जी, आप रैलेवैंट बोलें। (शोर एवं व्यवधान) अब ये जो कुछ भी बोलें उसको रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री मांगे राम गुप्ता : * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप बैठ जाएं आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। गुप्ता जी, जिस तरीके के ईशू हमारे सामने आए थे वे यहां पर डिस्कस हुए हैं और जो काबिले डिस्कशन नहीं थे उनको हमने डिसअलाउ कर दिया था। कुछ अलाउ हुए हैं और कुछ डिसअलाउ हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : * * * * * ।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था प्रश्न है कि प्रश्न काल के दौरान माननीय सी०पी०एस० महोदय ने मेरे बारे में कुछ कहा, मैंने उस समय भी यह प्वायंट उठाया था, परन्तु मेरा प्वायंट सुना नहीं, इनके राज में यह महिलाओं के साथ बर्ताव किया जा रहा है।

श्रीमती वीना छिब्बर : क्या आप महिलाओं की रक्षा की बात कर रहे हैं ? आप अपने राज का रिकार्ड उठा कर देखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सरिता नारायण : आज आप महिलाओं की बात कर रहे हैं जब परसों सदन में महिला पर अत्याचार की बात हो रही थी तो कह रहे थे कि अगर दोषी होगा तो सजा मिलनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी की कोई बात रिकार्ड नहीं की जाए। गुप्ता जी, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) नहीं नहीं, आप सब बैठिए। यह कोई जीरो आवर नहीं है।

श्रीमती सरिता नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे यह कहना चाहती हूं कि जरा ये अपना पिछला रिकार्ड उठाकर देखें कि क्या क्या इन्होंने अपने राज में किया था ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। गुप्ता जी, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) एफ०एम० साहब जी, आप बिल इन्ट्रोडयूस करें। (शोर एवं व्यवधान) बैठिए-बैठिए। आप सब बैठ जाएं। बहन जी, आप भी बैठिए। गुप्ता जी, आप बैठें। सरिता जी, बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सरिता नारायण : आज ये महिलाओं की रक्षा की बात कर रहे हैं। इन्होंने सारे देश को खा लिया। आपने महिलाओं के लिए क्या किया है ? परसों तो आप यहां पर नौटंकी कर रहे थे, ये लो आपके महिलाओं के प्रति विचार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आप बैठिए। (विघ्न) कृष्णपाल जी, आप अपनी विधायिका को बिठाएं। (विघ्न) गुप्ता जी, अब आप किस बात पर बोल रहे हैं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, मैं लॉ एंड आर्डर के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, हम आपकी बात सुन चुके हैं। अब आप किस सब्जैक्ट पर बोल रहे हैं। अब तो कुछ भी नहीं है। आप तो वित्त मंत्री रहे हैं इसलिए आप तो सारे प्रोसीजर को जानते हैं। आप बैठिए।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, * * * * *

श्री अध्यक्ष : अब इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। गुप्ता जी, आपने तो इस बारे में कुछ भी लिखकर नहीं दिया है इसलिए अब आप बैठिए। गुप्ता जी, आपकी कोई भी बात अब रिकार्ड नहीं हो रही है इसलिए अब आप बैठें।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, मैं तो आपकी इजाजत से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, हमने देखा है आपका कोई भी लिखा हुआ सब्जैक्ट हमें नहीं मिला है इसलिए आप बैठिए। (विघ्न)

चौ० भजन लाल : स्पीकर साहब, आप एक मिनट के लिए उनकी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप तो उनको बिठा रहे थे लेकिन अब आप स्वयं ही बोल रहे हैं। आपको बोलने की किसने परमिशन दी है ? आप बगैर परमिशन के बोल रहे हैं। इसलिए अब आप बैठें। अगर हुड्डा साहब कुछ कहें तो बात जंचे भी। आप बैठ जाएं। (विघ्न) अब भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न करें।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 2002

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Lokayukta Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Lokayukta Bill, 2002.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Lokayukta Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Lokayukta Bill be taken into consideration at once.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर बोलना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हुड्डा साहब, आप बोलिये।

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा (किलोई) : अध्यक्ष महोदय, आज जो यह विधेयक हाउस में पेश किया गया है इसका मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना है। हम भी यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो लेकिन जिस रूप में यह विधेयक आया है वह आब्जैक्शनेबल है। इसमें कई ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जिनसे भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। इनसे तो भ्रष्टाचार और फैलेगा एवं तानाशाही बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस बिल में कई ऐसे क्लॉज हैं जो आब्जैक्शनेबल हैं लेकिन मैं खास तौर से आपका ध्यान इस बिल की सैक्शन 2-डी जो कम्पीटैंट अथोरिटी से संबंधित है, की तरफ ले जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की क्लॉज किसी भी लोकायुक्त बिल में नहीं है चाहे आप पंजाब राज्य का ही लोकायुक्त बिल मंगाकर देख लें। कम्पीटैन्ट अथोरिटी में लिखा है कि—

"Competent authority" in relation to a complaint against—

(i) Chief Minister : The Governor in his discretion.

(ii) All other Public Servants : Chief Minister"

जब कम्पलैन्ट देनी है। पब्लिक सर्वेन्टस की क्या डैफिनेशन है ? पब्लिक सर्वेन्टस की डैफिनेशन में पब्लिक सर्वेन्टस ये-ये हैं—

(i) Chief Minister ;

(ii) A Minister ;

(iii) A Member of the Legislative Assembly of Haryana including the Speaker and the Deputy Speaker of Haryana Legislative Assembly ;

(iv) A Chairman, Vice-Chairman or member of the Board of Directors, by whatever name called, of a Government company within the meaning of Section 617 of the Companies Act, 1956, in which not less than fifty-one per cent of the paid up share capital is held by the State Government ;

(v) A Chairman, Vice-Chairman or member, by whatever name called, of any statutory or non-statutory body incorporated, registered or constituted by the State Government ;

(vi) A Mayor, Senior Deputy Mayor, Deputy Mayor of a Municipal Corporation constituted or deemed to have been constituted by or under the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 ;

(vii) A President, Vice President of a Municipal Committee or Municipal Council constituted or deemed to have been constituted by or under the Haryana Municipal Act, 1973 ;

(viii) A President, Vice President of a Zila Parishad and a Chairman, vice-Chairman of a Panchayat Samiti constituted by or under the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 ;

(ix) A President or Vice President of any managing committee of a society incorporated or registered under the law relating to cooperative societies for the time being in force ;

(x) A President, Vice President, Managing Director of the Board of Directors of such other cooperative societies incorporated or registered by or under law relating to cooperative societies for the time being in force ;

(xi) A Vice-Chancellor or a Pro Vice-Chancellor or Registrar of a University ; "

ये सभी कमेटीज के मेम्बर्ज हैं। अब अगर चीफ मीनिस्टर कम्पीटैन्ट अथोरिटी होंगे तो उनकी पार्टी के एम०एल०एज० भी होंगे, उनकी पार्टी के चेयरमैन भी होंगे, उनकी पार्टी के वाइस प्रैजीडैन्ट भी होंगे एवं प्रैजीडैन्ट, म्यूनिसिपल कमेटीज के भी होंगे तो क्या वे अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ कोई कम्पलैन्ट दे सकेंगे ? इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही आब्जैक्शनेबल है। अध्यक्ष महोदय, आप पंजाब राज्य का ही लोकायुक्त बिल उठाकर देखें। उसमें कम्पीटैन्ट अथोरिटी जो हैं 'in relation to a complaint against a public servant means' "The Governor". गवर्नर के सिवाये कोई और कम्पीटैन्ट अथोरिटी नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पंजाब का लोकायुक्त बिल भी मैंने पढ़ा है इसलिए मैं कह रहा हूं। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस बिल की सैक्शन 3 जो मोड ऑफ अप्वायमैन्ट के बारे में है, देखें। इसके प्रोवाइजों में लिखा है :—

"Provided that the Lokayukta shall be appointed on the advice of the Chief Minister who shall consult the Speaker of Haryana Legislative Assembly, Leader of Opposition and the Chief Justice of India in case of appointment....."

इसके आलावा सैक्शन 3 के प्रोवाइजों में यह भी लिखा है कि—

"Provided further that the result of consultation shall have persuasive value but not binding on the Chief Minister."

ये दोनों प्रोवाइजों डिलीट होने चाहिएं। क्लाज 2 की सब क्लाज डी में केवल कम्पीटैंट अथोरिटी in relation to a complaint against public servant means "The Governor" गवर्नर के सिवाय कोई और कम्पीटैंट अथोरिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि परस्यूएसिव वैल्यू एंड कंसलटेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सात जजों का फैसला है।

यह अल्ट्रावायरस उस जजमैंट के हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट में उन्होंने कंसल्टेशन को डिफैंड किया है 1993 की जजमैंट में है— consultation shlould be in writing, consultation should be affective और किसी जज का अपोइंटमैंट करना है तो चीफ जस्टिस से जो कंसल्टेशन होगी या उसकी ऐडवाइस होगी, वह बाइंडिंग होगी इस वास्ते इसको डिलीट करना चाहिए क्योंकि इस बिल में तो लिखा है कि कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं होगी। और आप सैक्शन 3(2)

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

को भी देखें जिस में लिखा है कि—

> "A notification by the State Government about the consultation having been held as envisaged in sub-section (1) shall be conclusive proof thereof."

It means consultation नहीं, यह तो इन्फर्मेशन मात्र हो गया। आप किसी को इन्फार्म करेंगे वही प्रूफ माना जाएगा, यह अच्छा नहीं है। यह तो और ज्यादा तानाशाही ताकतें और मनमर्जी करने वाली बाते हैं। उसके बाद आप सैक्शन 15 देखें, इसमें सर्च और सीजर की पॉवर्ज दे रखी हैं। ये बिल्कुल नैचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हैं। इसकी सब क्लॉज (1) का b(ii) देखें जिसमें लिखा है कि—

> "Break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah or other receptacle for exercising the powers conferred by sub-clause
>
> (i) where the keys thereof are not available"

इसमें इस प्रकार की कोई प्रोविजन नहीं है तीसरा सर्च का भी समय होना चाहिए। Search should be always after the sun rise and before the sun set. वह भी प्रोविजन नहीं है। उसके बाद आप सैक्शन 16 का प्रोवाइजो देखें इसमें लिखा है—

> "Provided that no Court shall take cognizance of an offence punishable under this section except on a complaint made by or under the authority of the Lokayukta."

जिस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट है जो ऐग्रीव्ड है उसे भी तो डिफैंड करने का अधिकार होना चाहिए। जिस ऐग्रीव्ड पार्टी के खिलाफ कंप्लेंट दी है और उसकी सजा होती है तो उस सजा को डिफैंड करने के लिए उसे कोर्ट में जाने का अधिकार होना चाहिए जो कि इस बिल में नहीं दिया है। ऐलीगेशन सिद्ध करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की होती है, यह प्रोवीजन इसमें नहीं है। शिकायत की कॉपी सम्बन्धित व्यक्ति को दी जाए वह इसमें प्रोविजन नहीं है। रूल्स ऑफ नैचुरल जस्टिस में यह भी प्रौवाइड नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारी प्रोविजन हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगी इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि यह बिल पहले भी दो बार महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास से वापस आ चुका है। अगर इसे हम पास करके भेजेंगे तो राष्ट्रपति महोदय फिर इसे वापस भेजेंगे क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग के भी अगेंस्ट है जिस स्पिरिट से लोकायुक्त की नियुक्ति हो रही है वह स्पिरिट इसमें नहीं है इससे और भ्रष्टाचार फैलेगा। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि यह बड़ा सैंसिटिव मामला है इसको रश थ्रू न किया जाए, सबको समय दिया जाये। इसे सलैक्ट कमेटी को रैफर किया जाए और विधान सभा के सभी सदस्य इस बात को गंभीरता से सोचें इसको फॉल्टलैस बनाएं और जिस मकसद के लिए यह बनाया जा रहा है, लोकायुक्त की नियुक्ति की जा रही है इस तरह की नियुक्ति की गई तो लोकायुक्त का इंस्टीच्यूशन जैसे आपने सुना होगा इंग्लैंड में चैम्बर आफ स्टार्स है वही परिस्थितियां यहां पैदा हो जाएंगी। जो मर्जी आप कर लो, जिसको मर्जी बचा लो इसमें किसी की सुरक्षा नहीं है भ्रष्टाचार का फैलाव और ज्यादा होगा। सारे साथियों से आग्रह है कि इसको सलैक्ट कमेटी को रैफर किया जाए उसके बाद यह बिल इंट्रोडयूस किया जाए।

चौ० बंसी लाल (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोकायुक्त बिल के तो बहुत हक में हूं, आना चाहिए लेकिन यह जिस शक्ल में लाया गया है इसके मायने कुछ नहीं रहे। इस बिल को इस बिल में ही रिडन्डैंट कर दिया है। कंपिटैंट अथौरिटी के बारे में सैक्शन 2(d) में लिखा है कि—

" 'competent authority' in relation to a complaint against—

(i) Chief Minister :- The Governor in his discretion ;

(ii) All other Public Servants : Chief Minister ;"

यानी जो कंप्लेंट्स मुख्यमंत्री के खिलाफ होंगी वह गवर्नर साहब के पास जायेंगी। बाकी किसी के खिलाफ होंगी तो वह मुख्यमंत्री को जायेंगी। आमतौर से ऐसा होता है कि गवर्नर और मुख्यमंत्री में तालमेल होता है यह ठीक है, यह तो ठीक है। गवर्नर साहब, सी०एम० के अंगेस्ट जो कंपलेंट होगी उसको खत्म कर देंगे और चीफ मिनिस्टर के अण्डर सारे मिनिस्टर और अधिकारी हैं, यह क्यों करेंगे। यह जो अख्तियार इस बिल में आज दिये जा रहे हैं ये सारे अख्तियार मुख्यमंत्री जी को दिये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को तो ये अख्तियार आज भी सारे हैं। यह बिल अगर पास न किया जाये तो भी मुख्यमंत्री जी कोई भी इंक्वायरी किसी ढंग से करवा सकते हैं। ये सब अख्तियार उनको आज भी हैं। Competent Authority must be the Governor इसमें Chief Minister Competent Authority नहीं होनी चाहिए। फिर भी जो इसी के सैक्शन 2(k) में लिखा है-

"Minister" means a member of the Council of Ministers, other than the Chief Minister....."

इसमें यह other than Chief Minister काटकर और Minister means Chief Minister, Cabinet Minister, State Minister, Deputy Minister and Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretary everybody should be included in that because now, whatever has been said in this Bill that says all the such complaints will go to the Chief Minister चीफ मिनिस्टर को तो आज भी जाती है, जा भी सकती है कोई रुकावट नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं रहेगा इस बिल को पास करने का और इसी के सैक्शन 2 (m) में लिखा है—

"Public Servant" includes a person defined in section 21 of the Indian Penal Code, 1860 and also means a person, who is or has been—

(i) Chief Minister,

(ii) a Minister"

यहां चीफ मिनिस्टर काटकर, मिनिस्टर कर दिया जाये **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुये।)** और मिनिस्टर की डैफिनेशन जो ऊपर दी गई है उसी में चीफ मिनिस्टर भी आ जाये इसको अलग से नहीं करना चाहिये और फिर इसमें सैक्शन (3)(1) में उपाध्यक्ष महोदय क्या आया है। इसमें यह लिख दिया है कि—

"For the purpose of conducting investigations in accordance with the provisions of this Act, the Governor shall, by warrant under his hand and seal, appoint a person to be known as the Lokayukta."

[चौ० बंसी लाल]

आगे प्रोवाईजो में लिखा है —

"Provided that the Lokayukta shall be appointed on the advice of the Chief Minister who shall consult the Speaker of Haryana Legislative Assembly, Leader of Opposition and the Chief Justice of India in case of appointment of a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of the High Court, and Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court in case of appointment of a person who is or has been a Judge of a High Court."

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आगे लिखा है —

"Provided further that the....." (Interruption)

श्री भगवान सहाय रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी बंसी लाल जी से इस प्रश्न के बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी-अभी इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के बारे में सक्षम अधिकारी गवर्नर हैं और दूसरी बार कह रहे हैं कि गवर्नर को बनाया जाये और कहा है कि गवर्नर और मुख्यमंत्री में आपस में रिलेशन एक जैसे होने चाहिये और दूसरी स्टेटमैंट में कहा कि जो मुख्यमंत्री के विरूद्ध शिकायत आती है तो उसको गवर्नर साहब देखेंगे और दूसरे में गवर्नर को रिकमैंड कर रहे हैं ये किसको सही मानेंगे कृपया बतायें।

चौधरी बंसी लाल : मैं दोनो ही ठीक कह रहा हूं कोई भी गलत नहीं है। "Provided further that the result of consultation shall have persuasive value but not binding on the Chief Minister."

इसी सैक्शन 3 की सब सैक्शन 2 में लिखा है :

"A notification by the State Government about the consultation having been held as envisaged in sub-section (1) shall be conclusive proof thereof" इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को कंसल्ट कर लें मुख्यमंत्री लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर यह बात बाईंडिंग नहीं होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि consultation must be binding हमने जो बिल बनाया था, पास किया था उसमें कंसल्टेशन में यह कंडीशन नहीं थी कि that will have only persuasive power मुख्यमंत्री जी किसी थर्ड आदमी का नाम लिख देंगे और यह लिख देंगे कि मैंने इनको कंसल्ट कर लिया। कंसल्ट करने का क्या मतलब हुआ यह जो चीज है यह बिल्कुल ही सारे मामले को बिल्कुल साफ कर देती है कि कौन आदमी लोकायुक्त बनेगा और उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 6 के हैडिंग में लोकायुक्त की डैफिनेशन दी गई है कि "The term of office and other 11.00 बजे conditions of Lokayukta" बाकी कंडीशंज तो ठीक हैं। लेकिन इसमें लोकायुक्त की ऐज लिमिट कोई नहीं है, ऐज लिमिट बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐज लिमिट है, हाई कोर्ट में भी ऐज लिमिट है, सी०थी०सी० में भी ऐज लिमिट है इसलिए यह ऐज लिमिट होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बंसी लाल जी, कोई सुझाव भी दे देना।

चौ० बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, 70 साल कर दो, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बनता है तो 65 साल में वह रिटायर होता है तो उसकी ऐज 70 कर दो। इसी तरह हाई कोर्ट का जज 62 साल में रिटायर होता है तो उसको भी 70 साल कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, क्या नीचे की ऐज सजैस्ट नहीं करेंगे ? जैसे एम०पी० के लिए कितनी ऐज होनी चाहिए।

चौ० बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ऐज का होना जरूरी है। सैक्शन 8 में यह लिखा है—

> "8(1) Subject to the provisions of this act, the Lokayukta may on receipt of a reference from Government proceed to inquire into the allegations or the grievances made against a public servant."

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह होना चाहिए, यह जो 'Subject to the provisions of this act, the Lokayukta may on receipt of a reference from Government' दिया है इसके साथ साथ 'suo moto' शब्द भी होना चाहिए अगर उसको सुओ मोटो अख्तियार न देंगे तो गवर्नमैंट जो रैफरैंस करेगी उसी की इन्क्वायरी करवाएंगे, और क्या करेंगे। गवर्नमैंट आज इन्क्वायरी अपनी किसी भी एजैन्सी से करा लें। हमने जो बिल पास किया उसमें सुओ मोटो वर्ड है। अगर हम लोकायुक्त को यह अख्तियार नहीं देंगे तो वह क्या करेगा, वह अपंग रहेगा, उसके क्या अख्तियार होंगे। गवर्नमैंट रैफरैंस करेगी, गवर्नमैंट तो आज कुछ कर ले इसलिए इसमें यह लकूना है। सैक्शन 9 में कोई लिमिट मुकर्रर नहीं की गई कि पीछे कितने सालों तक की घटनाओं की इन्क्वायरी हो सकती है। Limitation is always there in every case. So, limitation should be here also. We did it and we did it with the full consent of the House. हमने यह किया था।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : बंसी लाल जी, जब आपने यह बिल पास किया था तब तो हाउस था ही नहीं। हम तो निकाल रखे थे। (शोर एवं व्यवधान) एक भी नहीं छोड़ा था, ये भी निकाल रखे थे। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये भाग गए होंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : बंसी लाल जी, हम निकाले गए थे, आपकी पुरानी आदत है, बरदाश्त तो आप करते नहीं।

Ch. Bansi Lal : In Sub-section (3) of Section 12, it is mentioned—

> "Every enquiry under the Act shall, unless the Lokayukta for reasons to the recorded in writing determines otherwise, be conducted in camera."

इसमें 'reasons to the recorded' की जगह 'reasons to be recorded होना चाहिए, 'to the' नहीं चलेगा। हर जगह इसमें कम्पीटैंट अथोरिटी आता है, सैक्शन 17 की सब-सैक्शन 2 में लिखा है—

> "(2) The Competent authority shall cause the report to be examined and communicate to the Lokayukta within three months of the date of receipt of the report, the action taken thereon."

[Ch. Bansi Lal]

डैफीनेशन में कम्पीटैंट अथोरिटी must be the Governor गवर्नर के सिवाय कोई दूसरा आदमी कम्पीटैंट अथोरिटी की डैफीनेशन में नहीं आना चाहिए। अभी श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, लीडर आफ दि अपोजीशन ने जो कहा कि बिल सिलैक्ट कमेटी को जाना चाहिए, इसे रश थ्रू करने की जरूरत नहीं है। इसको सिलैक्ट कमेटी को भेज दो और अगले सैशन में पास कर दो मेरा भी यह सुझाव है।

चौ० भजन लाल (आदमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त की बहुत दिनों से चर्चा थी कि ऐसा बिल आना चाहिए और सियासी लोगों तथा दूसरे बड़े लोगों के खिलाफ कोई लगाम लगनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, यह जो बिल क्लाज बाय क्लाज आया है इसके बारे में हुड्डा साहब और चौधरी बंसी लाल जी ने सारी बातें रखी। इससे तो बजाय क्रप्शन पर लगाम लगने के क्रप्शन की छूट हो जाएगी जिसको मुख्य मंत्री जी चाहेंगे उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी और जिस पर मुख्य मंत्री जी की नजर सख्त होगी उसको बांध कर रख देंगे। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बिल आना चाहिए लेकिन इस तरह नहीं आना चाहिए। यह बाकायदा सिलैक्ट कमेटी को जाना चाहिए और इस पर दोबारा से विचार हो। चीफ मिनिस्टर भी गवर्नर के अंडर हों और बाकी के लोग भी गवर्नर के अंडर हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर की इन्क्वायरी गवर्नर के अंडर हो और बाकी के लोगों की चीफ मिनिस्टर इन्क्वायरी करेंगे। यह बिल्कुल भी इन्साफ की बात नहीं है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस बिल को पास न किया जाये और इसे सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाए तथा इसे अगले सैशन में लाया जाये।

श्री कृष्णपाल गुर्जर (मेवला महाराजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह लोकायुक्त बिल सदन के सम्मुख लाया गया है उस पर मुझ से पहले सभी वरिष्ठ नेताओं ने, पूर्व मुख्य मंत्रियों ने अपनी सलाह दी है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील है कि जो भी सदस्य इस बिल पर बोले वह उन सदस्यों की बातें न दोहराये जो पहले बोल चुके हैं।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोकायुक्त बिल का समर्थन करता हूं लेकिन इसमें जो कमियां हैं जो मुझ से पहले वरिष्ठ नेताओं ने बताई हैं मैं उन्हें दोबारा नहीं दोहराऊंगा क्योंकि इससे हाउस का समय बरबाद होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में मुख्य मंत्री जी को सक्षम अधिकारी रखा गया है यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि मंत्रियों की, विधायकों की, चेयरमैनों की, नगरपरिषदों के चेयरमैनों की, ब्लाक समिति के अध्यक्षों की, जिला परिषद के चेयरमैनों की, महापौर की, उप महापौर की, वरिष्ठ महापौर की इन्क्वायरी मुख्यमंत्री जी करेंगे। यह एक तरह से सत्ता का केन्द्रीकरण होगा, भय का वातावरण होगा इसलिए सभी की इन्क्वायरी बजाय मुख्यमंत्री के गवर्नर करें। यह बिल जान बूझकर इसलिए लाया गया है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से हावी रहें और यही इस बिल की सबसे बड़ी कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि कोई भी शिकायत मुख्यमंत्री जी के पास जाने के बजाये सीधे लोकपाल या लोकायुक्त को जानी चाहिए। मेरा अगला सुझाव है कि इस बिल को जल्दबाजी में पास न किया जाये। यदि इसे जल्द बाजी में इसी तरह पास किया गया तो यह बिल बजाय अच्छे

बिल के काला बिल हो जायेगा और लोगों की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, वह इस बिल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को चला जायेगा। इस बिल से लोकतंत्र पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा और जो लोकतंत्र के रखवाले हैं उनकी भूमिका बंद हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अंत में मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को आज पोस्टपोन किया जाये, इसे जल्दबादी में पास न किया जाये और इसको सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह लोकायुक्त बिल मुख्यमंत्री जी लाये हैं इस पर सदन के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से इस बिल पर अपने विचार रखना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में दो ही बातें देखने को आई हैं, एक तो सत्ता का केन्द्रीकरण कैसे हो, पूरे प्रदेश की सत्ता एक परिवार या एक आदमी के हाथ में कैसे आये।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब आप बिल से बाहर की बात न करना ताकि मुझे आपको बीच में रोकना न पड़े।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह कि व्यापार का ग्लोबलाईजेशन कैसे किया जाये। इस बिल के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सभी मिनिस्टर्ज, एम०एल०एज०, अधिकारी, पंचायतें, जिला परिषदों की शिकायतें अपने अधिकार क्षेत्र में रख ली।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, जो बात आप कहें, उनकी रैपिटीशन न हो और जैसा आपके पूर्व वक्ताओं ने सुझाव रखे हैं आप भी उसी तरह से अपने सुझाव रखें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कोई रैपिटीशन नहीं करूंगा और न मैं कोई गलत बात कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह भी समझनी चाहिए। जहां तक मंत्री या मुख्यमंत्री का सवाल है, हरियाणा में there is only one Minister and that is Chief Minister. बाकी मंत्रियों की हरियाणा के अन्दर कोई हैसियत नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष : जब आप मंत्री थे तो उस वक्त आपकी क्या हैसियत होती थी, वह भी आप बता दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैं इसमें अपने आप को शामिल करके कह रहा हूं। मेरा यह अनुभव है तभी तो मैं यह कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। मैं अपने मुंह से यह बात नहीं कह रहा। जो रूल्ज ऑफ प्रोसिजर है जिससे गवर्नमैंट का बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है उसकी कापी मंगवाये। 1987 में या 1988 में हरियाणा के बिजनैस को ट्रांजैक्ट करने के लिए इसमें इन्होंने संशोधन किया। इसमें क्या संशोधन है। मिनिस्टर को कोई भी पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया। मिनिस्टर का हर काम चीफ मिनिस्टर की हां पर डिपेण्ड करता है और जिन्होंने इस बिल में मंत्रियों का दर्जा अलग रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय यह बताएं कि जब किसी भी मिनिस्टर को अपने महकमे में निष्पक्ष और अपने अधिकार से, अपने विवेक से फैसले लेने के अधिकार ही नहीं है तो फिर मंत्री और मुख्यमंत्री को अलग कैसे कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, यह लोकायुक्त बिल है। आप लोकायुक्त बिल पर क्लाज बाई क्लाज बोलें। यदि आपके पास कोई सुझाव हैं तो वे आप दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा हूं कि इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसकी इजाजत गवर्नर महोदय देंगे और अगर पब्लिक सर्वेन्ट है तो उनकी इजाजत चीफ मिनिस्टर देगा। अगर मिनिस्टर के खिलाफ मान लीजिए एक शिकायत आती है तो उसकी इजाजत चीफ मिनिस्टर देगा। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मिनिस्टर का फैसला अपने आप में कभी भी नहीं होता, बेशक आप सरकार का रूल्ज ऑफ बिजनेस मंगा लीजिए, उसमें चीफ मिनिस्टर की मंजूरी होती है, कायदा कानून लिखा होता है। चौधरी सम्पत सिंह जी, चौधरी बीरपाल सिंह जी और दूसरे जो मंत्री रहे हैं, वे सब इस बात को जानते हैं। जिस कर्म को स्वयं चीफ मिनिस्टर करता है तो उसको मंत्री से डिफरेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि पब्लिक सर्वेन्ट की डैफिनेशन में जहां मंत्री रहे हों उनकी चर्चा आती है, उसमें मुख्यमंत्री अलग नहीं है, इसलिए उसकी इजाजत मुख्यमंत्री कैसे दे सकता है। यानि खुद मुख्यमंत्री उस मंत्री के कामों में सम्मिलित है और मुख्यमंत्री ही उसके खिलाफ इजाजत देंगे तो यह बात इसमें जंची नहीं। डिप्टी स्पीकर साहब, आप गवर्नमेंट के रूल्ज आफ बिजनेस को मंगा कर देख लीजिए अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो आप मुझे फिर कहें। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में इन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति का तरीका रखा है। इसमें इन्होंने कहा है कि —

> "Provided that the Lokayukta shall be appointed on the advice of the Chief Minister who shall consult the Speaker of Haryana Legislative Assembly, Leader of Opposition and the Chief Justice of India in case of appointment of a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of the High Court, and Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court in case of appointment of a person who is or has been a Judge of a High Court.

और उसमें इन्होंने यह कह दिया कि यह बाइन्डिंग नहीं होगा। यह मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं यह रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि यह बाइन्डिंग का एक तरीका हो सकता है। इसका तरीका यह हो सकता है कि ये 3-4 व्यक्तियों के नाम इसमें रखे हैं जो इस पर चर्चा करेंगे कि प्रदेश का लोकायुक्त कौन हो। उपाध्यक्ष महोदय, ये इसमें प्रावधान कर दें कि लीडर ऑफ अपोजीशन अलग से नाम दें, स्पीकर अलग से नाम दें और चीफ जस्टिस अलग से नाम दें। ये सभी अपने-अपने नाम मुख्यमंत्री महोदय को दे दें। वे सारे के सारे नाम वहां भेज दें जिस जगह से लोकायुक्त की नियुक्ति करवानी है। अगर हाईकोर्ट से लेना है तो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को वे नाम भेज दें अगर सुप्रीम कोर्ट से लेना है तो चीफ जस्टिस सुप्रीमकोर्ट को वे सारे नाम भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, ये सारी बातें हुड्डा साहब से डिस्कस की है और ये सभी बातें पहले आ चुकी हैं। यदि आपके पास कोई नई बात है तो वह कहें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अब मैं आपको नई बात बताता हूं। आज उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के लिए, पब्लिक सर्वेन्ट साईड में लिखा गया है उस बारे में मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज ये ओम प्रकाश चौटाला नहीं हैं। आज ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। यह एक संवैधानिक पद है। पद की एक मर्यादा होती है और इस पद पर बैठने के बाद सरकार में कर्मचारियों के, प्रदेश में विपक्ष के लोगों और हर राजनीतिक पार्टियों से बात करके उनसे काम लेने का एक तरीका होता है। उनकी भी एक जिम्मेवारी होती है। अब इसमें इन्होंने सारे कर्मचारियों को

रख दिया है। कल को उपाध्यक्ष महोदय, इनके गलत कामों के लिए कर्मचारी मना करता है तो वह अधिकार इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, तो एक मिनट में दरख्वास्त अपने ही आदमियों से मंगा कर उस आदमी के खिलाफ भेज देंगे, लोकायुक्त को। तो क्या कर्मचारी इस बिल के आने के बाद, इस सरकार की मंशा के खिलाफ काम करने की हिम्मत कर सकेंगे। जो 73-वी/74-वी अमैंडमेंटस पंचायत और नगरपालिकाओं के एक्ट में किया था। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों विधान सभा में एक बयान दिया, अखबार में ब्यान दिया कि तमाम हरियाणा की नगरपालिकाएं, तमाम हरियाणा की जिला परिषदें और ब्लाक्स में यानी तमाम के तमाम आई०एन०एल०डी० के पदाधिकारी हैं और इनके अपने दल के लोग बने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ भी इन्होंने अपने पास अधिकार रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, कल को नगर परिषदों में, नगरपालिकाओं में, ब्लाक समितियों में या पंचायतों में सरकार के खिलाफ कोई बात करेंगे, लोगों की बात रखना चाहेंगे, इनकी पार्टी की ज्यादतियों के खिलाफ कोई बात होगी तो उनको भी नाजायज तौर पर ये तंग करेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * *

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप बैठें। (विघ्न) इनकी कोई बात रिकार्ड न करें (विघ्न) आप बैठिये। (विघ्न) जय प्रकाश जी की डिक्टेशन पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। (विघ्न)

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने हरियाणा लोकायुक्त विधेयक पर सम्मानित सदन में चर्चा हो रही है प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं आज की सरकार के मुखिया और आज की वर्तमान सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा। मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल में पारदर्शिता और मुख्य मंत्री जी ने स्वयं अपने आपको सम्मिलित कर के प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस प्रजातन्त्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होती है और जनता सर्वापरि होने का परिणाम यह है कि यहां पर बहुमत के आधार पर मुख्य मन्त्री का निर्वाचन होता है। जनता का प्रतिनिधित्व मुख्य मंत्री करते हैं। निश्चित रूप से प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है लेकिन मुख्य मंत्री का पद है वह जनता का सही प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने अपनी सहमति से खुद को स्वयं शामिल करके प्रजातंत्र के उस आदर्शवाद को बढ़ाया है जिस पर चौधरी देवी लाल जी की सरकार चल रही थी। हमारी वर्तमान सरकार चौधरी देवी लाल के उसी आदर्शवाद पर चल रही है जिसमें यह माना जाता है कि लोक राज लोक लाज से चलता है। मैं समझता हूं कि इस बिल के माध्यम से यह आदर्श सही चरितार्थ हुआ है। मेरे से पहले पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय बंसी लाल जी ने इस पर अपना मन्तव्य ज़ाहिर किया था उस वक्त भी मैंने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से यह बात कहनी चाही थी। जब वे अपनी बात कह रहे थे तो कह रहे थे कि जनरली ऐसा होता है कि गवर्नर अथवा राज्यपाल महोदय और मुख्य मंत्री के रिलेशन्ज ऐसे होते हैं कि वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है शायद उन्हें आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी का 1982 का उद्धरण याद आ रहा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री जनप्रतिनिधि हैं इस प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में उनको उच्च सम्मान प्राप्त होता है। जिस तरह से चौधरी बंसी लाल जी को शक हो रहा है वे कौन सी परिपाटी को स्वीकार करना चाहेंगे इसका कोई सुझाव उन्होंने

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री भगवान सहाय रावत]

नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है उसको ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री एक उच्च संवैधानिक पद है उसकी शिकायत करने की इजाजत हर व्यक्ति को नहीं दी जा सकती इसको स्वयं गवर्नर साहब देखें इसकी व्यवस्था इस बिल में की गई है। जहां तक पिछले बिल में रखा गया था उस में संशोधन करके धारा 16 को जोड कर उसकी और वृद्धि की गई है (विघ्न) शिकायत के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसको यहां पर चैक किया गया है अगर कोई झूठी शिकायत करेगा इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझ कर, विद्वेषपूर्वक झूठी शिकायत करता है तो दोषी सिद्ध होने पर 3 वर्ष की अवधि तक उसे कठोर कारावास हो सकती है और 10 हजार रुपया तक जुर्माना हो सकता है जो उसके प्रतिकार के रुप में उसको भुगतान की जाएगी। यानि केवल इस बात को हतोत्साहित ही नहीं किया गया है बल्कि कानूनी रूप दिया गया है ताकि कोई अनावश्यक रूप से झूठी शिकायत न करे (विघ्न) आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सामाजिक व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, भारतवर्ष समस्त विश्व में प्रजातन्त्र का ध्वजवाहक कहा जाता है और इस पर अब्राहीम लिंकन की जो कहावत है वह भी चरितार्थ होती है। उन्होंने स्वयं प्रजातान्त्रिक व्यवस्था की अच्छी व्याख्या करते हुए इसे परिभाषित करते हुए कहा था जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता की चुनी हुई जो सरकार होती है वह सर्वोपरि होती है।

श्री उपाध्यक्ष : रावत साहब, आप अपना सुझाव दें। (शोर एवं व्यवधान) बंसी लाल जी आप बैठ जाएं। रावत जी बोल रहे हैं। रावत जी, आप क्लाज बाय क्लाज बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भगवान सहाय रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस पर सुझाव भी दूंगा और उस पर व्याख्या करना अपना अधिकार समझता हूं। (शोर एवं व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य साथी अपने विचार स्वयं रख सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये प्वायंट पर ही बोलें। अगर ये स्पीच करेंगे तो मैं भी बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, आप बैठें। आपको बोलने का समय दिया जा चुका है। (शोर एवं व्यवधान) आपको बोलने का समय दिया जा चुका है अब आप यह बात नहीं कह सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी बंसी लाल जी, आपके बिना कहे ही जो बात मुझे ठीक नहीं लगी मैंने उनको उसके लिए टोका है। आपके कहने से मैं किसी को नहीं टोकूंगा। मुझे खुद को जो गलत लगेगा उसके लिए ही कहूंगा।

श्री भगवान सहाय रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था के प्रश्न की बात कही थी। मैं उसको दोबारा से दोहरा रहा हूं। उन्होंने दो कंट्राडिक्टरी ब्यान यहां पर दिए थे। मैं अपनी बात को पुन: दोहरा रहा हूं कि गवर्नर को अगर सक्षम मान रहे हो तो क्यों मुख्यमंत्री और गवर्नर के आपस में ताल्लुकात होने के आधार पर मुख्यमंत्री की शिकायत नहीं सुन सकेगा। ये बाद में गवर्नर को अधिकार देने की बात कर रहे थे। ये तो एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जबकि मैं तो दूसरी बार विधायक चुन कर आया हूं। इस प्रजातन्त्र का सारा स्वरूप चौधरी बंसी लाल के राज का मैं 1972 में जान गया हूं। इसलिए मैं बड़ी सोच कर बात कह रहा हूं और हरियाणा लोकायुक्त

बिल के समर्थन में बोल रहा हूं। मैं दोबारा से एक बात कहकर अपनी बात और वाणी को विराम देना चाहूंगा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है वह, प्रथम इकाई होता है। इस सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए व्यक्ति को आचरण की जरूरत है। उसमें चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों न हो या मंत्री और विधायक ही क्यों न हो। इसलिए अगर सुसंस्कृति और संस्कार रहित व्यक्ति होगा तो उसके किसी उच्च पद पर होने के बावजूद भी उससे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति को सर्वोपरि बनने का प्रयास केवल हम सामाजिक संगठनों के द्वारा ही कर सकते हैं। कानूनन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री जनता का प्रथम सेवक होता है और उसकी जो भी व्यवस्था की गई है उसको सर्वोच्च पद मानकर गवर्नर को अधिकार दिया गया है। इसमें विद्वेष की भावना नहीं है। इसमें द्वेष की भावना नहीं है। इस बिल में पारदर्शिता का स्वरूप प्रदान किया गया है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इस समय राव इन्द्रजीत सिंह और श्री जगजीत सिंह सांगवान बोलने के लिए खड़े हो गये।)

श्री उपाध्यक्ष : राव इन्द्रजीत सिंह जी, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) जय प्रकाश जी, बैठिए। आप सब बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) अगर आपकी पार्टी के 3-3 मैम्बर्ज बोलने के लिए खड़े होंगे तो कैसे काम चलेगा। (शोर एवं व्यवधान) जगजीत सिंह सांगवान जी, आप अपनी बात एक मिनट में खत्म करें।

श्री जगजीत सिंह सांगवान (दादरी) : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा स्टेट के राज्यसभा में और लोकसभा में मैम्बर्ज हैं उनको भी इसमें इन्कल्यूड किया जाए।

प्रो० सम्पत सिंह : उनके लिए पार्लियामैंट में अलग से एक्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बारे में अलग से सुझाव देना। इसके अलावा आपका कोई और प्वायंट है तो बता दें।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मेरा तो यही प्वायंट है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के एम०पीज० को भी शामिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहूंगा कि यह जो बिल सरकार ने पेश किया है यह अच्छा है लेकिन इसके पीछे मंशा अच्छी नहीं है। इसलिए इस बिल को आपको सिलैक्ट कमेटी में भेजना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, अब आप बैठिए। राव इन्द्रजीत सिंह जी बोलिए।

राव इन्द्रजीत सिंह (जाटुसाना) : उपाध्यक्ष महोदय,मैं 2-3 प्वायंट्स पर बोलूंगा और मैं 2-4 मिनट ही लूंगा। एक तो मेरे से पहले बोलने वाले व्यक्तियों ने जिन क्लाजिज पर चर्चा की है उनमें से कुछ क्लाजिज पर मैं सहमत भी हूं। लेकिन चर्चा के अन्दर एक विषय बन गया जैसे कि रावत साहब ने बोलते हुए कहा कि चौधरी बंसी लाल ने यह कहा कि मुख्यमंत्री के लिए कम्पीटैंट अथौरिटी गवर्नर होना चाहिए और मंत्रियों के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। चौधरी बंसी लाल जी ने यह तो नहीं कहा है लेकिन उन्होंने जो कहा है उनके कहने का तात्पर्य जहां तक मैं

[राव इन्द्रजीत सिंह]

समझ पा रहा हूं वह यह था कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, दोनों के तो आपस में तालमेल हो सकते हैं लेकिन गवर्नर और दूसरे कर्मचारियों के चाहे म्युनिसिपल कौंसलर हों, चाहे एम०एल०ए० हो, चाहे मंत्री हो और पब्लिक सर्वेन्ट, एडमिनिस्ट्रेटर हो, के साथ तो गवर्नर का तालमेल नहीं हो सकता है। यहां तक तो इन्होंने ठीक कहा है। इतनी खामी तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर के साथ गवर्नर साहब के ताल्लुक हों लेकिन जब गवर्नर साहब का ताल्लुक दूसरों के साथ नहीं हो तो उसके अन्दर मैं समझता हूं कि गवर्नर साहब न्याय करेंगे। दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 8 का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसके बारे में यहां पर पहले भी जिक्र किया गया है। सैक्शन 8 (1) में लिखा है—

> "Subject to the provisions of this Act, the Lokayukta may on receipt of a reference from Government proceed to inquire into the allegations or the grievances made against a public servant."

चौधरी बंसी लाल जी ने एक बात कही कि सुओ मोटो, that is one consideration and that is before the House. मेरे कहने का मतलब इसके अलावा यह है कि apart from the Government, लीडर ऑफ दि अपोजिशन से, लीडर ऑफ नेशनल पार्टीज से, लीडर्ज ऑफ हरियाणा या स्टेट पार्टीज से यानी इनको भी यह अख्तियार देना चाहिए कि इनके रैफरैन्स के ऊपर भी लोकायुक्त इंक्वायरी कर सके। सर, एक बात तो मैं यह कहना चाहता था। डिप्टी स्पीकर सर, इस बिल के फर्दर सैक्शन 9 में यह दर्शाया गया है कि लोकायुक्त किसके बारे में इंक्वायरी नहीं कर सकेंगे। इसमें लिखा है "The Lokayukta shall..." सर, बाकी जगह पर तो "may" शब्द का प्रयोग किया गया है अगर मुख्यमंत्री कहते हैं या कोई और कहते हैं तो the Government gives the reference "may". But in this place it is enacted and drafted by the administrative services and it is said that Lokayukta shall not inquire. It is mandatory, Lokayukta will not inquire in those cases in respect of which an inquiry has been ordered under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850. Now, this Public Servants Enquiries Act, 1850 is 152-years old Act. Under this Act, I would like the Government to specify as to how many public servants have been prosecuted and dealt severely and how many services have been terminated and what action has been taken against them. This is a redundant Act. अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ और जिस व्यक्ति की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बचानी होगी उसके बारे में लोकायुक्त के पास रैफरैन्स देने से पहले यह कह देंगे कि पब्लिक सर्विसेज (इंक्वायरीज) एक्ट, 1850 के तहत हमने इसके प्रति एक इंक्वायरी खोल दी है। सर, सरकारें तो आती हैं और जाती हैं। आज इनकी सरकार है कल किसी और की सरकार होगी लेकिन पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं उनका काम कौन करता है जो इनके पीछे ब्यूरोक्रैसी बैठी हैं, जो इनके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, वही इनका काम करते हैं। यह बिल भी उनके माध्यम से ही ड्राफ्ट किया गया है। इस तरह से इनको जो संरक्षण या बचाव मिल रहा है उसके बारे में मुझे ऑब्जक्शन है। पोलटिशियन हो या ब्यूरोक्रैट्स सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए और अगर वह दोषी हैं तो चाहे पोलिटिशयंज हों या ब्यूरोक्रैटस हों सबको बराबर का हिस्सेदार माना जाना चाहिए और बराबर की ही पनिशमैन्ट मिलनी चाहिए। सर, इस बिल का सैक्शन 9 का जो पार्ट (a) है इसको डिलीट कर देना चाहिए यह मेरी मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त

है। जो सैक्शन 9-(c) है regarding use of discretion of powers by an officer. मैं इसको पढ़ देता हूं।

"(c) relating to "grievance of mal-administration", any administrative act involving the exercise of discretion except where he is satisfied that the elements involved in the exercise of discretion were absent to such an extent that discretion would not be regarded as having been properly exercised or was exercised for corruption."

This is a very ambiguous Section. Politicians, Chief Minister and Ministers, they give the directions. I want such a thing to be done. Who carries out the directions ? Administration carries out the directions. एडमिनिस्ट्रेशन जब भी कैरी आउट करता है तो हम उसको पहले से कह देते हैं कि डिस्क्रीशनरी पावर के अंदर वह अपना सारा हिसाब किताब लगाकर लिखकर भेजते हैं तो उस हिसाब से आईन्दा से अगर पोलिटिशियन चाहेगा कि लोकायुक्त के पास जो रैफरैन्स जाएगा तो that portion where the discretion has been used by the officer, will not come under the ambit of the Lokayukta's purview. So, on that basis, it should be made clear that whether it is the Government who refers it to the Lokayukta or whether it is the Chief Minister, Leader of the Opposition or Leaders of Parties. These people if refer it to the Lokayukta, after due deliberations, they should be considered. It should not be used "They shall not" because of discretion of powers are being used. That position also should be maintained that the Lokayukta shall inquire into that allegation as well. इस तरह से इस बिल में ये तरमीम की जाएं। यह बिल प्रैजेंट फार्म के अंदर पास नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल प्रस्तुत किया गया है इस पर आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से और साथ ही साथ हमारे विपक्ष के सम्मानित साथियों की तरफ से अपने अपने विचार इस बिल पर प्रस्तुत किये जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा तथ्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो देश के नागरिकों ने जो आकांक्षाएं रखीं थीं और राष्ट्रपिता महात्मागांधी के नेतृत्व में आजादी के लिए संघर्ष किया था उन आकांक्षाओं पर हम लोग खरे नहीं उतर पाए। इस बिल के माध्यम से जो पब्लिक लाइफ है उसके द्वारा चुने हुए लोगों पर किस तरह चैक एंड बैलैंस रखा जाए इसके लिए कुल मिलाकर एक ऐसी ऐजेंसी है जो इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि मेरे ऊपर भी कोई सोचने वाला है, मेरे ऊपर भी कोई चैक है मुझे भी कोई देखने वाला है, कोई अथॉरिटी है। विपक्ष के साथियों ने कुछ ऐसी शंकाएं जाहिर की हैं लेकिन यह प्रजातंत्र है। यह हाईएस्ट फोरम है हमारी स्टेट का और अगर कोई कमी पेशी नजर आती है उसमें भी कोई अमैंडमैंट ऐडीशन की जा सकती है। यह कहना कि इसे कमेटी को भेजना चाहिए, इसे बाद में होना चाहिए, यह निश्चित रूप से एक अच्छी सोच नहीं है, न ही अच्छा कदम है, यह बिल पास होना चाहिए क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में तीन विंग्स बड़ी महत्वपूर्ण हैं लेजिस्लेचर, ऐक्जीक्यूटिव और जूडीशियरी। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : बिसला जी, बी ब्रीफ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में कभी इररिलेवैंट नहीं बोलता आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बैठने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो ब्रीफ में अपनी बात रखने के लिए कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सबमीशन है कि रोजाना की डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि सरकार कई कदम उठाती है और लारजैस्ट इंट्रस्ट में निर्णय लिये जाते हैं। सरकारी मशीनरी मौके पर काम करती है, प्रभावित लोग, नाप्रभावित लोग जाकर के उस काम में रोड़े अटकाते हैं। बड़े-बड़े निर्माण कार्य आज इसलिए रुके हुए हैं कि कोर्ट ने स्टे दे दिया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ज्यूडिशयरी, ऐक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन में सामंजस्य होना चाहिए और कुल मिलाकर पब्लिक लाइफ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आज समस्या यह है कि हम सब राजनीतिक लोगों पर, ब्यूरोक्रेसी पर और सरकारी मशीनरी पर आंच आई हुई है इससे उसको कुल मिलाकर चैक किया जा सकता है। लोकायुक्त जब नियुक्त हो जाएंगे तो आम आदमी को करप्ट ऐलीमैंट को चैक करने का एक मौका मिलेगा। इस बिल को पास करने में निश्चित रूप में कोई नुकसान नहीं है बल्कि सारी स्टेट का भला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि अतिशीघ्र लोकायुक्त की नियुक्ति हो, पब्लिक लाइफ साफ सुथरी हो। इस बिल को पास कर दिया जाए इससे सारी स्टेट का भला होगा। धन्यवाद।

श्रीमती अनिता यादव (साहलावास) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। डैमोक्रेसी में सभी को बोलने का राइट है और इस राइट के मुताबिक जिस तरीके से आज सदन के पटल पर जो लोकायुक्त का बिल पेश किया गया है और जो सम्मानित विधेयक साथियों ने इसके बारे में जो सुजैशन दिये हैं उसकी सैक्शन 2, 3, 5, 19, 15 और 22 से हम सैटीफाई नहीं हैं। इसलिए इस बिल को दोबारा से सलैक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिये और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका ध्यान रखते हुये इस बिल को सलैक्ट कमेटी के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जाना चाहिये।

डा० रघुबीर सिंह कादयान (बेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह लोकायुक्त विधेयक सदन के पटल पर रखा गया है यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। जैसा कि पीछे भी यह बिल दो तीन बार वापस गया है। डिप्टी स्पीकर सर, जैसा कि बिसला साहब ने कहा कि आज जो देश में हालात हैं सिस्टम में जो भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म अपनी कोलप्सिंग स्टेज पर पहुंच गया है खासकर जो खद्दर पहनते हैं उन पर जनता का विश्वास उठता जा रहा है और भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वे इतनी नीचे होती चली जा रही हैं। ऐसे समय में इस विधेयक को लाना बहुत महत्वपूर्ण है इस बिल के सैक्शन 26(1) जो कि पेज 11 पर है—

> "The State Government may, by notification, in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this act."

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल इतना महत्वपूर्ण है Things come and go, Government come and go. कल हम भी उधर हो सकते हैं और ये इधर हो सकते हैं लेकिन सरकार को भी पता है कि यह इतना महत्वपूर्ण है इसलिए इसके बारे में थोड़ा टाईम लें और इसको सलैक्ट कमेटी

को दे दें। आज कमेटी बन जाये और 15 दिन के बाद रूलज और एक्ट दोनों विधान सभा में पेश किये जायें और उसके लिए सैशन बुलाया जाये। क्योंकि यह बिल इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर एग्जिस्टिंव डिसकशन और एग्जिस्टिंव सुजैशन और एक्सरसाइज होनी चाहिये क्योंकि इस बिल का गलत इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से रिक्वैस्ट करूंगा कि जैसे इसमें औथ को ऐड किया है अगर औथ ही वाइलेशन हो तो लोकायुक्त को भी बाई मजोरिटी ऑफ हाउस हटाया जा सकता है और इसमें पोलिटिकल वर्ड नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री, मंत्री शपथ लेते हैं तो वे कहते हैं कि संविधान की और परमात्मा की शपथ लेता हूं कि मैं प्रदेश के लोगों का बराबरी के आधार पर विकास करूंगा। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कादयान साहब, औथ शब्द को रिपीट न करें सभी को पता है।

डा0 रघुवीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पोलिटीकल करप्शन के डिस्क्रीमिनेशन को इस बिल की परव्यू में लाना चाहिये क्योंकि 19-20 का फर्क तो हो सकता है लेकिन कंसीव्रेबल नेपोटिज्म, फेवरिटिज्म के आधार पर डिस्क्रीमिनेशन दिखाई दे इसलिए इसमें पोलिटीकल वर्ड ऐड किया जाये। इसलिए अंत में मैं यह कहूंगा कि इस बिल को सलैक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री राम किशन फौजी (बवानी खेड़ा-अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार इस बिल को सदन के पटल पर लाई है। यह ठीक है कि विधायक भी इस बिल के परिधि में होना चाहिये। लेकिन इस बिल के अन्दर जो मुख्य मंत्री जी को कानून का अख्तियार दिया गया है वह अख्तियार एक ******** है।

श्री उपाध्यक्ष : फौजी साहब ने जो ******** शब्द बोला है इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री राम किशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के अन्दर तानाशाह शासक है। एक ही आदमी मुशर्रफ के पास सारे कानून हैं। इस विधेयक के बन जाने से सारे कानून मुख्यमंत्री के हाथ में आ जाएंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाए और इसको अगले सैशन में लाया जाए और हरियाणा को पाकिस्तान न बनाया जाए। यही मेरा सुझाव है। यह विधेयक पास हो गया तो हरियाणा पाकिस्तान बन जाएगा।

प्रो० राम भगत (नारनौंद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा के पटल पर लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में जो बिल लाया गया है, यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम हैं। प्रजातंत्र के प्रशासन के अन्दर ट्रांसपेरेसी की बहुत जरूरत होती है। उसके लिए इस बिल का बहुत महत्व है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन यह जो बिल है इसमें मेरी एक ओब्जर्वेशन यह है कि इस बिल की क्लाज 9 और क्लाज 10 जो प्रोवीजन्ज रिलेटिड टू कम्पलेंटस के बारे में हैं, तो इसमें कौन लोग कम्पलेंट कर सकते हैं, क्लाज 10 की सब क्लाज 3 में लिखा गया है कि जो लोग पुलिस कस्टडी, जेल या एसाइलम में हैं, वे अपनी लैटर

** चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[प्रो० राम मगल]

गवर्नर के पास भेज सकते हैं और गवर्नर यदि जरूरी समझे तो उसकी कम्पलेंट मान सकता है। मेरा एप्रीहैंशन है कि जो प्रिजनर्स होते हैं, पुलिस कस्टडी में होते हैं उनको कौन लैटर भेजने देता है, क्या कंसर्ड अधिकारी जिसकी कस्टडी में वह होता है उनकी लैटर भेज देगा और शिकायतकर्ता के पास कौन सा प्रूफ होगा कि उसने कंसर्ड अधिकारी को लैटर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी ओब्जर्वेशन यह है कि मुख्यमंत्री यदि इस लोकायुक्त के पैरामीटर्ज में आता है यानि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है तो मेरा निवेदन यह है कि जो कम्पीटैंट अथोरिटी है उसकी थोड़ी सी परिभाषा बदल दी जाए। यही मेरी निवेदन है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, जो लोकायुक्त बिल हम आज लेकर आए हैं, वास्तव में इस पर लम्बी बहस की जरूरत नहीं थी। क्योंकि बहस इस पर पहले हो गई है आज सिर्फ एक प्रश्न था जिसके बारे में इसको लेकर आए हैं जिसमें अमैंडमैंट की है। जहां तक सवाल इसके ओरिजनेट होने का है तो 1977 में यह लोकायुक्त बिल बंसी लाल के समय में बिल के रूप में लाया गया था जब इस तरह से असैम्बली में डिस्कशन आनी थी, लोकायुक्त बिल जब आना था, उस समय की बात को बंसी लाल जी याद नहीं रखते और आज बोलते समय कह रहे थे, हाउस की कंसैंट के साथ कह रहे थे कि मेरे टाइम में यह बिल आलरेडी पास हुआ हुआ था, एक्ट बन गया था इसको नए सिरे से लाने की जरूरत नहीं थी, रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, एज इट इज मान लिया जाता। जहां तक हाउस की कंसैंट की बात है, भजन लाल जी को याद नहीं रहता, ये याद कर लें जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी विपक्ष के नेता थे, इनके सभी सदस्यों को हाउस से निकाल दिया गया था ताकि इस पर बहस न हो सके, भजन लाल जी, आपको भी बंसी लाल जी ने निकाल दिया था, वे दिन भी आपको देखने पड़े थे खैर उस समय के ऐसे हालात थे। विदआउट एनी डिस्कशन, विदआउट एनी आरगूमैंटस, सबको निकाल कर अकेली पार्टी ने किसी का सुझाव लिए बिना वह बिल पास कर दिया था और आज कह रहे हैं कि वह बिल हाउस की सहमति से पास हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय बिल हाउस की कन्सैंट से पास नहीं हुआ बल्कि एक पार्टी विशेष के लीडर की कन्सैंट से पास हुआ था जो उस समय मुख्यमंत्री थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक पार्टी विशेष की कन्सैंट से बिल पास हुआ था न कि पूरे हाउस की कन्सैंट से। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हाउस की कन्सैंट से तो यह बिल 16-11-1999 को पास हुआ था। 16-11-1999 को इसी हाउस में इस बिल के हर प्वायंट पर आरगूमैंट हुई थी और सभी पार्टियों के सदस्यों ने उस आरगूमैंट में हिस्सा लिया था। मैंने उस समय की प्रोसीडिंगज निकालकर देखी हैं चौधरी बंसी लाल जी तो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद हाउस में आये ही नहीं, ये हिम्मत हार गये थे। इनकी तरफ से चौधरी सतीराम गोदारा जी हाउस में उपस्थित थे और उन्होंने इस बिल पर चर्चा में पूरा भाग लिया था और वे काफी लम्बे समय तक इस बिल पर बोले थे। उस समय की प्रोसीडिंग्ज मेरे पास हैं। कांग्रेस की तरफ से चौधरी खुर्शीद अहमद जी जो कि सीनियर वकील रहे हैं और बहुत बड़े पार्लियामैंटेरियन रहे हैं लेकिन वे इस समय हाउस के सदस्य नहीं है ने भी इस बिल पर चर्चा में पूरा भाग लिया था। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जो इस समय आल इण्डिया युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ने भी इस बिल पर चर्चा में हिस्सा लिया था और अपने सुझाव दिए थे। स्पीकर सर, सभी सदस्यों के सुझाव लेकर, उन पर अमल करके हमने एक बिल तैयार किया था और वह बिल तैयार करने के बाद गवर्नर साहब को भेजा गया था और गवर्नर

साहब को भेजने के बाद राष्ट्रपति से अनुमति लेने के लिए भेजा गया लेकिन उस पर होम मिनिस्टरी ने contempt of court का एतराज लगा दिया कि बिल का जो पैरा 16 है उसके हिसाब से contempt of court की पावर लोकायुक्त को मिलेगी और होम मिनिस्टरी ने अपने एतराज में लिखा कि contempt of court की पावर लोकायुक्त को नहीं मिलनी चाहिए। बिल दोबारा से हमारे पास आया। हमारे पास आने के बाद हमने उदाहरण देकर कि contempt of court की पावर लोकायुक्त को हो सकती है, उसमें राजेन्द्रा मनू भाई पटेल V/s स्टेट ऑफ गुजरात के केस का हवाला दिया ताकि लोकायुक्त को पावरफुल बनाया जा सके और यह भी सोचा कि यदि लोकायुक्त की contempt of court की पावर नहीं होगी तो यह कमजोर हो जायेगा। उसके बाद दोबारा से केस राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया। लेकिन उस बात को होम मिनिस्टरी ने नहीं माना। इसलिए आज केवल उस 16 नम्बर क्लाज को हटाने के लिए यह बिल लाया गया है बाकी का यह बिल एज ईट ईज है जो उस समय पास किया गया था। अब इस बिल पर इतनी लम्बी चौड़ी बहस की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी आप सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं चौधरी बंसी लाल जी ने जो बिल अपने समय में पास किया था वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसमें इन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति पर जिक्र किया कि लोकायुक्त की नियुक्ति का जो तरीका है उस तरीके में persuasion की बात कही गई है और मुख्यमंत्री पर बाईंडिंग की बात नहीं कही गई। वह बात तो चौधरी बंसी लाल जी ने पढ़कर सुना दी मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। चौधरी बंसी लाल जी के वक्त में जो एक्ट था उस बारे में मैं हाउस को बताना चाहता हूं क्योंकि सभी माननीय सदस्यों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा। लोकायुक्त की नियुक्ति सैक्शन-3 में थी जिसमें लिखा है कि—

> "For the purpose of conducting investigations in accordance with the provision of this Act, the Governor shall, by warrant under his hand and seal, appoint a person to be known as Lokpal :
>
> Provided that the Lokpal shall be appointed on the advice of the Chief Minister who shall consult the Speaker of Haryana Legislative Assembly, Leader of the Opposition and the Chief Justice in case of appointment of a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of High Court, and the Chief Justice of the concerned High Court in case of appointment of a person who is or has been a Judge of a High Court."

इसमें भी उपाध्यक्ष महोदय, कहीं यह नहीं लिखा हुआ कि उनको कन्सल्ट किया जायेगा, उनकी राय ली जायेगी फिर कन्सलटेंशन क्या रहेगी ? उपाध्यक्ष महोदय, कन्सलटेशन और एडवाइज चीज क्या है, इसमें क्या फर्क है, उनकी कन्सलटेंसी ली जायेगी। यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनकी कन्सलटेंसी बाईंडिंग होगी चीफ मिनिस्टर के ऊपर। It is nowhere mentioned in that Act also. और आज ये इस बारे में बात कर रहे हैं जबकि कहीं नहीं लिखा हुआ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है।

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होती तो यह एक्ट पास ही नहीं होता।

चौ० बंसी लाल : स्पीकर साहब, हमने जो बिल पास किया था उसमें यह नहीं था कि-

"Provided further that the result of consultation shall have persuasive value but not binding on the Chief Minister."

We have not mentioned that.

प्रो० सम्पत सिंह : इसमें बाइन्डिंग कहां लिखा हुआ है। Whether you have mentioned that it will be binding on the Chief Minister.

चौ० बंसी लाल : इसका मतलब है कि उनकी सलाह से जो कहा है हम नहीं जायेंगे।

Prof. Sampat Singh : That does not mean.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनिये। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब आप बैठिये। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, खुद लीडर ऑफ अपोजीशन ने..... (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने जिस ढंग से बिल पास करवाया उसकी तो चर्चा आ चुकी। लोकायुक्त मुकर्रर करने पर विपक्ष के नेता के नाते मेरे पास एक चिट्ठी भेजी गई थी, इसको लोकायुक्त मुकर्रर कर दिया गया है और जो हमने विरोध जताया उसकी कोई चर्चा नहीं। यह चिट्ठी आई कि इसको लोकायुक्त मुकर्रर कर दिया है और उस लोकायुक्त की पावर्ज भी और लोकायुक्तों से ज्यादा बढ़ा दी। आपका बस चलता तो उसे आजीवन भी रखते। (विघ्न)

चौ० बंसी लाल : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं क्लैरीफाई करना चाहूंगा कि हमने जो एक्ट पास किया था उसमें क्लियर कट था कि हाईकोर्ट का जज बनाएंगे तो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट से पूछेंगे, उसकी कन्सल्ट से लेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट का बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछेंगे। उसके आगे सारी पावर्ज लोकायुक्त की, सुओमोटो थी। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : यह जो कन्सलटेशन ऑफ स्पीकर, अपोजीशन लीडर यह नहीं थी क्या आपके उस में। (विघ्न)

चौ० बंसी लाल : हां था। लीडर ऑफ अपोजीशन भी था और उसमें यह उनसे पूछा गया था.....स्पीकर भी था। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, बैठिये।

प्रो० सम्पत सिंह : वह मानी तो नहीं न आपने। फिर वह कन्सलटेंसी का मतलब क्या हुआ तो यह तो मीनिंगलैस हो गया जब माना ही नहीं गया। (विघ्न)

चौ० बंसी लाल : बहुमत की मान ली। (विघ्न) चीफ जस्टिस की मान ली, लीडर ऑफ अपोजीशन की मान ली और स्पीकर साहब की मान ली। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब आप बैठिये।

प्रो० सम्पत सिंह : इसमें बहुमत नहीं लिखा हुआ था। दैट डिप्टी स्पीकर, इनके एक्ट में कहीं बहुमत नहीं लिखा हुआ था। That was implied with merely.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह तो इस बात पर चर्चा है कि उस व्यक्ति का एतराज है जिसका किरदार इस किस्म का रहा हो जिसका डैमोक्रेसी में यकीन न रहा हो।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा मतलब यह था कि जब या तो वो शब्द जोड़ देते कि वो कन्सलटेंसी दैट बिल भी बाइंडिंग, इम्पलाइड मिनिंग है, अगर बाइंडिंग का शब्द नहीं लिखा हुआ था, कि इसका इम्पलाइड का मतलब यह था कि कन्सलटेंसी चाहे वो उनकी मर्जी है, कोई राय वो दे उसको मानें या न मानें। इम्पलाइड मीनिंग तो यह है। अदरवाईज यह शब्द जोड़ देते कि बाइंडिंग होगा। इन्होंने बाइंडिंग का शब्द नहीं जोड़ा था। इसका मतलब हुआ इम्पलाइड मीनिंग निकलता यही था कि कन्सलटेंसी मीनिंगलैस होगी और वह इन्होंने करके दिखा भी दी थी। दूसरी बात इन्होंने एतराज किया टाईम लिमिट का। इसमें टाईम लिमिट का जनाब ने तो इसमें 10 साल की टाईम लीमिट रखी थी। सारे आपने पिछले राज के टाईम को अपने उस वक्त अपने कुलिग्ज को बचाने के लिए रखा था और आज जो लोकायुक्त का बिल है इसमें टाईम लिमिट इसलिए नहीं रखी है यह हरियाणा लोकायुक्त है। इसका मतलब है कि 1 नवम्बर 1966 को हरियाणा बना था और 1 नवम्बर सन 1966 के बाद अगर किसी की कोई ग्रिवेंसिज हैं, नहीं सुनी गई हैं कहीं भी, उसने ग्रिवेंसिज के लिए अपनी एप्लीकेशन दी, कम्पलेन्टस दी, दुनिया भर के चक्र काटे फिर आज अगर वह आदमी चाहे तो किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, इन्कल्यूडिंग दि चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, मैम्बर एण्ड अदर पब्लिक सर्वेंट किसी के खिलाफ भी लोकायुक्त को उसकी एप्लीकेशन जा सकती है, उसको जिसको मौका नहीं मिला है आज उसको मौका सरकार दे रही है इसलिए टाईम लिमिट नहीं रखी गई वरना तो टाईम लिमिट का मतलब यह हो गया कि अपना टाईम बचा लो और बाकी लोगों का टाईम जोड़ लो। आपने तो इस तरीके से 10 साल का पीरियड रखा था। इसने तो 1 नवम्बर 1966 का रख दिया एक किस्म का न लीमिट का मतलब यही है कि हरियाणा जब से बना है तब से रखा गया है और फिर डिप्टी स्पीकर साहब, जिकर आया कि इसमें बड़ा भय का वातावरण हो जाएगा, सत्ता का केन्द्रीकरण हो गया, फलानां हो गया, धीगड़ा हो गया काफी चीजों का इसमें इन्होंने जिक्र किया गया। (विघ्न)

चौ० बंसी लाल : लोकायुक्त की एज लीमिट क्या रखी गई है वह भी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, आप बैठिये। वह बता रहे हैं। वह एक एक प्वायंट पर आ रहे हैं। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : जितना ध्यान होगा, उतना ही कहूंगा बाकी आप वन बाई वन पूछ लेना। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, आप बैठिये। आप बीच में इन्टरवीन न करें।

प्रो० सम्पत सिंह : मैं यह कह रहा था कि यहां पर कई बातों का जिक्र आया, तीन-चार मैम्बर्ज ने भी जिक्र किया है। चौधरी बंसी लाल जी बोले थे, हुड्डा साहब भी बोले तथा दलाल साहब ने भी जिक्र किया था। किसी ने **सत्ता का केन्द्रीकरण** कह दिया किसी ने **भय का वातावरण** बता

[प्रो० सम्पत सिंह]

दिया, किसी ने कह दिया कि **कर्मचारियों पर तलवार लटकती रहेगी, तानाशाह** शब्द और न जाने कितने शब्दों का प्रयोग किया गया। (विघ्न) मैंने ऑलरैडी यह नोट किया हुआ है इसलिए मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, किसी के खिलाफ कोई ग्रिवैन्सिज आएगा तभी कोई कार्यवाही होगी। मान लें माननीय मुख्य मन्त्री जी के खिलाफ ही कोई कम्पलेंट आ रही है और महामहिम गवर्नर महोदय को वह कम्पलेंट चली गई गवर्नर साहब उसको एग्जामिन करेंगे और यदि उस कम्पलेंट में कोई तथ्य है तो महामहिम गवर्नर महोदय उसको लोकायुक्त को रैफर कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद चाहे कोई मिनिस्टर है, पब्लिक सर्वेन्ट है और अदर सर्वेन्ट्स हैं, उनके खिलाफ कोई कम्पलेंट आ गई तो मुख्य मन्त्री महोदय उस कम्पलेंट को लोकायुक्त को रैफर कर सकते हैं। लोकायुक्त को कम्पलेंट रैफर होने के बाद भय किस बात का है। लोकायुक्त इन्वैस्टिगेटिंग अथोरिटी है तथा न्याय देने वाली अथोरिटी है। अगर आदमी साफ-सुथरा है और कम्पलेंट में कोई बल नहीं है और उस आदमी में कोई कमी नहीं है तो उसे किस बात का भय है। उसके खिलाफ वाईड ऐलिगेशन लग कर कोई कम्पलेंट यदि मुख्य मन्त्री जी के पास आ गई और उन्होंने उस कम्पलेंट को लोकायुक्त को रैफर कर दिया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि मुख्य मन्त्री जी कोई फैसला नहीं कर रहे हैं वे कोई इन्वैस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। इसके लिए देश का कानून बना हुआ है इन्वैस्टिगेशन का काम गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया का है इसीलिए तो आज हम कन्टैम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली पावर को ले कर वापिस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि इन्वैस्टिगेटिन्ग अथोरिटी को आप सुप्रीमकोर्ट, हाईकोर्ट या अदर कोर्ट के बराबर नहीं मान सकते हैं, यह एडवाईस माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय की तरफ से आई हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं यह कह रहा था कि अगर किसी की कम्पलेंट फाल्स है तो उसको वहां पर न्याय मिलेगा और अगर उस कम्पलेंट में सच्चाई है तो उस आदमी को दण्डित भी किया जाएगा। इसमें भय का वातावरण कहां से आ गया। इससे तो एक स्वच्छ वातावरण बनेगा। एक आदमी जिसको कोई शिकायत है वह बेचारा कहीं जा नहीं सकता उसको एक मौका मिला है कि वह वहां जा कर अपनी शिकायत कर सकता है और उसको न्याय मिलेगा और अगर शिकायत झूठी होगी तो कुछ नहीं होगा। अब चौधरी साहब ने कह दिया कि सुओ-मोटो भी कर दे और यह भी कह दिया कि वह एप्लीकेशन डायरैक्ट भी चली जाए तो क्या हर्ज है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या उसको थोड़ा बहुत एग्जामिन नहीं करेंगे। अगर कोई एनोनिमस कम्पलेंट होगी तो उसको कुछ एग्जामिन तो करना ही पड़ेगा (विघ्न) सुओ-मोटो की जो बात करते हैं सुओ-मोटो कोग्नी जैंस लेने वाली पावर अगर कोई है तो वह बुला लेगी। अखबार में पढ़ कर भी कोर्ट में बुला लिया जाए कोर्ट के पास ऑलरैडी ऐसी पावर्ज हैं। हाईकोर्ट के पास भी हैं और अदर कोर्टस के पास भी हैं। अगर कोई मिनिस्टर है, एम०एल०ए० है या कोई और अधिकारी है, अगर वह कोई गलती करता है या कोई गलत काम करता है ईवन अखबार के अन्दर दो लाईन्ज की न्यूज आ जाती है तो उसके अन्दर भी बुला सकते हैं। देश के अन्दर न्याय-व्यवस्था और न्यायालय हैं और इसी प्रकार से कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी भी हैं। राव साहब ने पब्लिक सर्वेन्ट इन्क्वायरी ऐक्ट 1850 का जिक्र किया था यह इन्क्वायरी एक्ट ऑलरैडी एग्जिस्ट कर रहा है। इस एक्ट के अण्डर ऑलरैडी किसी की इन्क्वायरी हो रही है तो उसकी यहां पर लाई नहीं कर सकती। इन्क्वायरी एक्ट के तहत बड़े-बड़े लोगों को अपने पद भी छोड़ने पड़े हैं। यहां तक कि मुख्य मन्त्री लैवल के लोगों के खिलाफ इन्क्वायरी एक्ट के अण्डर इन्क्वायरी हुई है तथा प्रताप सिंह कैरों जैसे आदमी को भी मुख्य मन्त्री पद नैतिकता के

आधार पर छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनके अगेन्स्ट रिपोर्ट आ गई थी। वह एक्ट भी है और उसमें अलग से पावर है। इस ऐक्ट के अण्डर अगर कोई कम्पलेंट की हुई है तो उसके अन्दर यह कम्पलेंट नहीं आ सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से चौधरी साहब ने **ऐज लिमिट** की बात कही। जहां तक ऐज लिमिट का सवाल है तो 90 साल का आदमी भी स्वस्थ हो सकता है जैसे कि चौधरी साहब खुद 80 साल के नजदीक हैं और ये काफी हैल्दी भी हैं। सत्तर साल का आदमी भी बीमार हो सकता है। अगर इन्टैलीजैन्ट आदमी होगा, अच्छी इन्टैग्रिटी होगी, ऑनैस्ट होगा, उसका अच्छा एक्सपीरियैंस होगा वही आदमी इस पद के लिए बढ़िया रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इन्होंने **सिलैक्ट कमेटी** का जिक्र कर दिया। सिलैक्ट कमेटी का जहां तक ताल्लुक है ; चौधरी साहब ने तो कुछ भी नहीं किया था। न असैम्बली को कन्सल्ट किया था न कोई डिस्कशन करवाई थी और बिल पास कर दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, हमने तो रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर जी०एस० चहल, की अध्यक्षता में एक्सपर्टस की कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने दो महीने में अपनी रिपोर्ट दी थी। रिटायर्ड जस्टिस ने सारी बातों को देख कर बाकायदा छानबीन करके रिपोर्ट दी है इसलिए सिलैक्ट कमेटी की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरैडी दो महीने तक इसको हर पहलू से देखा है और उन्होंने जो पूरी रिपोर्ट दी थी उसको हमने माना है, चौधरी बंसी लाल जी की तरह से नहीं कि एक दिन में बिल लाए और 5 मिनट में ही इसको पास कर दिया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। चौधरी सम्पत सिंह 12.00 बजे जी जो जवाब दे रहे हैं इसमें इन्हें एक बात और बतानी चाहिए कि जैसे इसमें स्टैचुअरी और नॉन स्टैचुअरी बॉडिज का भी जिक्र है। जैसे HPSC है जिस तरीके से इन्होंने वाईस चांसलर का जिक्र किया हुआ है। यह आटोनोमस बाडिज हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। आप प्रैस की तरफ न देखिए। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : सब बढ़िया लग रहे हैं। सब मैरिट पर लग रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एजैंसी की बात है तो जन-प्रतिनिधियों को संवैधानिक पावर है। क्या उन एजैंसियों को उनसे ऊपर रख दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कोई अच्छे सुझाव आते तो उनको मान भी लेते। इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं थी, एक लाईन की बात थी, क्लाज 16 को डिलिट की बात थी और इस बारे में इनकी राय आती कि इसको डिलिट करें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि आप इस बिल को आम सहमति से पास करें। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय सभी पार्टियों के मैम्बर्ज बोलने के लिए खड़े हो गए।)

वाक आउट

चौ० बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राय नहीं मानी जा रही है और इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को नहीं भेजा जा रहा है इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट वाक-आउट करते हैं।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के सदन में उपस्थित दोनों सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए।)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको जाना है। यहां पर ये बोल लिए हैं और अब यहां से जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्री कर्ण सिंह दलाल अपनी सीट को छोड़ कर आगे आ गए और कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लग गए।)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए, आप सब बैठिए। कर्ण सिंह जी आप अपनी सीट पर जाएं। आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया है इसलिए अब आप अपनी सीट लें। (शोर एंव व्यवधान) कादयान जी आप अपनी सीट पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सब बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : मुझे इस बात की खुशी है कि हमने आपको यह तो सिखा दिया कि वाक-आउट कब किया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं इनकी कोई भी बात कार्यवाही में शामिल नहीं की जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप सब अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एंव व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : पहले तो आप वाक-आउट चर्चा से पहले करते थे आज आपको इतनी तो समझ आ गई है। आज चर्चा भी कर ली और अब वाक-आउट भी करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) अब आपको इस बात के लिए हमारा मशकूर होना चाहिए कि इतनी बात हमने आपको सिखा दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठें। आप प्रैस की तरफ न देखें। आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) Please take your seat. जय प्रकाश जी बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) पंजाब का कोई भी एक्ट हमारे ऊपर बाईंडिंग नहीं है, यह हरियाणा असैम्बली है। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठिए, बैठिए। इनका कुछ भी कार्यवाही में रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य आर०पी०आई० के श्री कर्ण सिंह दलाल और एन०सी०पी० के श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन से वाक-आउट कर गए।)

दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 2002 (पुनरारम्भ)

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Haryana Lokayukta Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub Clause (2) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (3) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub Clause (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 26

श्री उपाध्यक्ष : पार्लियामैंट अफेयर्ज मिनिस्टर साहब, अगर हाउस की सहमति हो तो 2 से 26 तक क्लाजिज एक साथ ही कर ली जाएं।

प्रो. सम्पत सिंह : ठीक है जी।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clauses 2 to 26 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (1) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी शराइन (अमैंडमैंट) बिल, 2002

Mr. Deputy Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2002 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि—

दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Shri Mata Mansa Shrine (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Shri Mata Mansa Shrine (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House stands adjourned sine die.

*12.10 hrs. (The Sabha then *adjourned sine die.)

ANNEXURE

Amount Spent on gifts given by HARCO Bank

***1185. Shri Nafe Singh Rathi, M.L.A. :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) whether any gifts have been presented to the politicians and officers by HARCO BANK during the period from 1st July, 1991 to 20th May, 1996, if so, the amount thereof ?

(b) whether the aforesaid gifts were given in accordance with rules of the Bank ; and

(c) if not, whether any action has been taken against the officers who were responsible for presenting the said gifts and recipients thereof ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भडाना) :

(क) हां, श्रीमान जी, 1 जुलाई, 1991 से 20 मई, 1996 तक हरको बैंक द्वारा रुपये 16,16,212.59 (सोलह लाख, सोलह हजार दो सौ बारह रुपये उनसठ पैसे) की राशि के उपहार दिये गये थे।

(ख, ग) ये उपहार बैंक का कारोबार बढ़ाने के लिये दिये गये थे।

36283—H.V.S.—H.G.P., Chd.